VISIONIAS

www.visionias.in

समसामयिकी

मई(1-15) - 2017

विषय सूची

1. राजव्यवस्था और संविधान....................5
1.1. लोकपाल और कानून....................5
1.2. राष्ट्रीय विकास एजेंडा....................6
1.3. इंटीग्रेटेड केस मैनेजमेंट इनफार्मेशन सिस्टम (ICMIS)....................7
1.4. ICT विजन डॉक्यूमेंट 2025....................7
1.5. म्युनिसिपल बांड....................7
2. अंतर्राष्ट्रीय/ भारत और विश्व....................10
2.1. भारत-पाकिस्तान....................10
2.2. भारत- फिलिस्तीन....................12
2.3. भारत-श्रीलंका....................13
2.4. साउथ एशिया सेटेलाइट....................13
2.5. UN-हेबिटेट....................14
2.6. वन बेल्ट वन रोड (OBOR) समिट....................14
3. अर्थव्यवस्था....................16
3.1. GM सरसों का वाणिज्यीकरण....................16
3.2. कॉयर उद्योग....................17
3.3. पूसा कृषि ऐप....................18
3.4. राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य पालन नीति 2017....................19
3.5. सम्पदा योजना....................21
3.6. मसाला बांड....................23
3.7. WPI एवं IIP के आधार वर्ष में परिवर्तन....................23
3.8. स्वैच्छिक बेरोजगारी....................24
3.9. प्रौद्योगिकी एवं नवाचार सहायता केन्द्रों की स्थापना....................25
3.10. स्वदेशी नाभिकीय उर्जा....................25
3.11. फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम....................27
3.12. थिंक 20 टास्क फोर्स....................27
4. सुरक्षा....................29
4.1. इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड....................29

VISION IAS

4.2. नक्सल हिंसा हेतु 'समाधान' सिद्धांत 30
4.3. ब्रह्मोस का अंडमान द्वीपों से परीक्षण किया गया 31
4.4. स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल 31
5. पर्यावरण 33
5.1. बस्टर्ड प्रजनन केंद्र 33
5.2. भारतीय जंगली कुत्ते (ढोल) 34
5.3. ब्लैक नेक्ड क्रेन 34
5.4. इंडियन स्टार टॉरटोइज 34
5.5. अमूर फाल्कन....35
5.6. शहरी बाढ़....35
5.7. दक्षिण भारत में सूखा 36
5.8. बॉन क्लाइमेट मीट....37
6. विज्ञान और प्रौद्योगिकी....38
6.1. कुपोषण से निपटने हेतु फोर्टीफाइड खाद्य पदार्थ: 38
6.2. मोबाइल टॉवर रेडिएशन की जानकारी के लिए तरंग संचार पोर्टल 38
6.3. कैंसर के इलाज हेतु नया मॉलिक्यूल - डिसऐरिब....39
6.4. ड्रग रेजिस्टेंस को रिवर्स करना संभव 39
6.5. नासा के न्यू फ्रंटियर प्रोग्राम को 12 मिशन प्रस्ताव प्राप्त हुए....39
6.6. XFEL (विश्व का सबसे बड़ा एक्स-रे लेजर) ने प्रथम एक्स-रे लेजर लाइट उत्पन्न की 40
6.7. ऊर्जा के उभरते स्रोत 40
7. सामाजिक....41
7.1 मिशन इंद्रधनुष....41
7.2 कुष्टरोग हेतु स्वदेशी वैक्सीन: माइकोबैक्टीरियम इंडिकस प्रानी 41
7.3 सामाजिक सुरक्षा के लिए 'वन IP - टू डिस्पेंसरीज' स्कीम और आधार बेस्ड ऑनलाइन क्लेम सबमिशन' 42
7.4 थैलेसीमिया पर राष्ट्रीय नीति की आवश्यकता....43
7.5 स्वच्छ सर्वेक्षण 2017: इंदौर सर्वाधिक स्वच्छ शहर....43
7.6 स्वास्थ्य मंत्रालय का EVIN प्रोजेक्ट 44
8. संस्कृति 45
8.1. बसव जयंती....45
8.2. संत त्यागराज....45

VISION IAS

8.3. ठकुरानी जात्रा महोत्सव 45

8.4. बंगनापल्ली आम....46

9. एथिक्स....47

9.1. विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस....47

10. विविध....49

10.1. मांकडिया जनजाति से बंदरों को पकड़ना सीखना....49

10.2. इंडियन एक्सक्लूशन रिपोर्ट (IXR) 2016 49

10.3. CAPF के लिए शिकायत निवारण ऐप 49

10.4. भारतीय रेलवे द्वारा EOTT की शुरुआत 50

1. राजव्यवस्था और संविधान

(POLITY AND CONSTITUTION)

1.1. लोकपाल और कानून

(Lokpal and The Law)

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि मौजूदा लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 अपने वर्तमान स्वरूप में व्यवहार्य (workable) है।

स्पष्टीकरण की आवश्यकता क्यों थी?

- सरकार ने तर्क दिया कि विपक्ष के नेता की अनुपस्थिति में, चयन समिति का गठन नहीं किया जा सकता है। सरकार ने इस स्थिति से निपटने के लिए लोकपाल अधिनियम में संशोधन प्रस्तावित किया है।
- इस सन्दर्भ में न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इस अधिनियम में चयन समिति में रिक्त पद विद्यमान होने के बावजूद इस समिति द्वारा नियुक्तियां किये जाने का प्रावधान किया गया है।

लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं

- केन्द्र में लोकपाल तथा राज्यों में लोकायुक्त का गठन- सभी राज्य इस अधिनियम को लागू किये जाने की तारीख से 365 दिनों की अवधि के भीतर लोकायुक्त की नियुक्ति करेंगे।
- संरचना- लोकपाल में एक अध्यक्ष और अधिकतम आठ सदस्य होंगे। इन सदस्यों में से 50 प्रतिशत सदस्य न्यायिक पृष्ठभूमि से होंगे तथा 50 प्रतिशत सदस्यों की नियुक्ति अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों और महिलाओं से की जाएगी।
- चयन समिति - लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन, एक चयन समिति के माध्यम से होगा। इस समिति के सदस्य प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश या इनके द्वारा नामांकित सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश तथा चयन समिति के इन चार सदस्यों की सिफारिश के आधार पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामांकित प्रख्यात न्यायविद होंगे।
- लोकपाल का क्षेत्राधिकार- प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे में रखा गया है। FCRA के प्रावधानों के तहत किसी विदेशी स्रोत से 10 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक दान प्राप्त करने वाली सभी संस्थाएं लोकपाल के क्षेत्राधिकार के तहत होंगी।
- CBI के संबंध में शक्ति- लोकपाल को इसके द्वारा CBI या अन्य किसी जांच एजेंसी को सौंपे गए मामलों का अधीक्षण करने तथा निर्देश देने का अधिकार प्राप्त होगा। लोकपाल द्वारा निर्दिष्ट मामलों की जांच से संबंधित CBI अधिकारियों का स्थानांतरण लोकपाल की स्वीकृति के पश्चात् किया जा सकेगा।
- संपत्ति जब्त करना- इस अधिनियम में भ्रष्ट तरीकों से प्राप्त संपत्ति की कुर्की और जब्ती के प्रावधान शामिल हैं, भले ही अभियोजन प्रक्रिया लंबित हो। इस अधिनियम में प्रारंभिक पूछताछ, जांच और सुनवाई के लिए स्पष्ट समय सीमा का निर्धारण किया गया है।

लोकपाल से संबद्ध मुद्दे:

- राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी के कारण लोकपाल की नियुक्ति में देरी।
- संशोधनों के माध्यम से प्रावधानों को कमजोर करना- 2016 में पारित किये गए विधेयक द्वारा सरकारी कर्मचारियों, उनके जीवनसाथी तथा आश्रित बच्चों की संपत्तियों की सार्वजनिक घोषणा की कानूनी अनिवार्यता वाले प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है।
- भ्रष्टाचार निरोधक कानून (PCA) के साथ असंगतता - जाँच के संबंध में लोकपाल को प्राप्त पूर्व स्वीकृति प्रदान करने की शक्ति भ्रष्टाचार निरोधक कानून में किये गए संशोधनों के कारण निष्प्रभावी हो गई है। दृष्टव्य है कि इन संशोधनों द्वारा सरकार से अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता वाले प्रावधान को मजबूत किया गया है।
- शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के विरुद्ध- लोकपाल, एक प्रशासनिक समिति (कार्यपालिका का एक अंग) होगी। इसका अर्थ है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका संबंधी कृत्यों को सम्पादित करना होगा।
- राज्यों को पूर्ण स्वतंत्रता- लोकायुक्त की प्रकृति एवं उसके स्वरुप का निर्धारण पूरी तरह से राज्यों के विवेकाधिकार पर छोड़ दिया गया है। इससे विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उदाहरणस्वरुप: लोकायुक्त की नियुक्ति के संबंध में सत्ता का दुरुपयोग, जैसे उत्तर प्रदेश में एक बार विस्तारित अवधि के समाप्त होने के बाद भी लोकायुक्त पद पर बने रहे।

VISION IAS

- लोकपाल का क्षेत्राधिकार- न्यायपालिका को लोकपाल के क्षेत्राधिकार से पूरी तरह बाहर रखा गया है।

आगे की राह:

हालांकि संसद द्वारा लोकपाल विधेयक पारित कर दिया गया है किन्तु इसे प्रभावी बनाने के लिए कई कदम उठाए जाने की आवश्यकता है जैसे कि:

- पारित अधिनियम का प्रभावी कार्यान्वयन।
- सिटिज़न चार्टर, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक सर्विस डिलीवरी, व्हिसल ब्लोअर प्रोटेक्शन, न्यायिक जवाबदेहिता जैसे विधेयकों को पारित करना जो भ्रष्टाचार से जुड़े मुद्दों से निपटने में सहायक सिद्ध होंगे।
- सख्त दिशानिर्देशों और मानदंडों को स्थापित करने की आवश्यकता है ताकि लोकपाल दिन-प्रतिदिन की प्रशासनिक अक्षमताओं तथा भ्रष्टाचार से संबंधित असंख्य शिकायतों के बोझ तले न दब जाए।

1.2. राष्ट्रीय विकास एजेंडा

(National Development Agenda)

सुर्खियों में क्यों?

- नीति आयोग द्वारा त्रिवर्षीय कार्यवाही एजेंडा का एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है। यह समग्र राष्ट्रीय विकास एजेंडे का एक भाग है।

पृष्ठभूमि

- 2014 में योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया और इस प्रकार पंचवर्षीय योजनाओं की प्रासंगिकता समाप्त हो गई।
- इसके पश्चात् प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा नीति आयोग को पंद्रह वर्षीय विजन, सात वर्षीय रणनीति और तीन वर्षीय कार्यवाही एजेंडा को सम्मिलित करने वाले राष्ट्रीय विकास एजेंडा को तैयार करने का निर्देश दिया गया।

(Source: NITI Aayog)

प्रावधान

- नीति आयोग ने अपने त्रिवर्षीय कार्यवाही एजेंडे के प्रारूप में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों का चयन किया है। ये हैं:

✓ त्रिवर्षीय राजस्व और व्यय प्रारूप;

✓ ऊर्जा;

✓ शासन, कराधान और विनियमन;

✓ 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना;

✓ उद्योग और सेवाओं में रोजगार सृजन;

✓ शहरी विकास;

✓ पूर्वोत्तर, मरुस्थली क्षेत्रों, तटीय क्षेत्रों, सूखाग्रस्त क्षेत्रों और हिमालयी क्षेत्रों के लिए विशेष क्षेत्रीय रणनीतियां।

✓ परिवहन और डिजिटल कनेक्टिविटी – इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड (IIFCL) की भूमिका में परिवर्तन, कम लागत वाले डेब्ट इंस्ट्रूमेंट को प्रस्तुत करने तथा नेशनल इन्वेस्टमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (NIIF) की स्थापना के माध्यम से PPP को बढ़ावा देना।

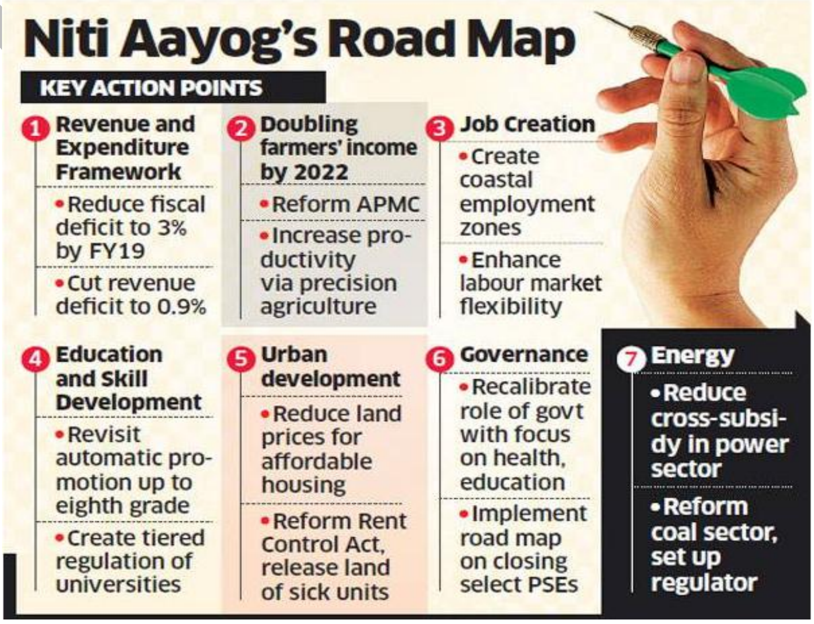

- ✓ विज्ञान और प्रौद्योगिकी- योजनाओं के राष्ट्रीय डेटाबेस का निर्माण करना, नेशनल साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फाउंडेशन की स्थापना करना आदि।

महत्व

- ✓ एक अपेक्षाकृत अधिक खुली और उदार अर्थव्यवस्था के साथ हमें वर्तमान आर्थिक वास्तविकताओं के अनुसार प्लानिंग एजेंडा में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। अतः दीर्घकाल एवं लघुकाल के लिए व्यापक योजना निर्माण एक स्वागत योग्य कदम है।
- ✓ यह एजेंडा एक समावेशी और संधारणीय अर्थव्यवस्था के विकास हेतु बहु-क्षेत्रीय (multisectoral) दृष्टिकोण का निर्माण करेगा।

1.3. इंटीग्रेटेड केस मैनेजमेंट इनफार्मेशन सिस्टम (ICMIS)

(Integrated Case Management Information System:ICMIS)

सुर्खियों में क्यों ?

- मामलों की डिजिटल फाइलिंग के लिए सर्वोच्च न्यायालय के 'इंटीग्रेटेड केस मैनेजमेंट इनफार्मेशन सिस्टम' (ICMIS) का अनावरण किया गया।

ICMIS के कार्य:

- इस सिस्टम के माध्यम से केस की ई-फाइलिंग का विकल्प, केस लिस्टिंग की तिथि, केस की स्थिति, सूचना/सम्मन की ऑनलाइन सुविधा, कार्यालय रिपोर्ट तथा सर्वोच्च न्यायालय के पंजीकरण कार्यालय में दाखिल मामलों (cases) के सम्बन्ध में समग्र रूप से हुई प्रगति की ऑनलाइन जानकारी प्राप्त होगी।
- यह न्यायालय से संबंधित शुल्कों और प्रक्रिया शुल्क के भुगतान के लिए एक ऑनलाइन गेटवे तथा एक ऑनलाइन कोर्ट फी कैलकुलेटर के रूप में कार्य करेगा।

ICMIS के लाभ:

- अधिवक्ताओं और पंजीकरण कार्यालय दोनों के लिए फाइलिंग प्रोसेस को सुव्यवस्थित करेगा।
- यह पारदर्शिता को सुनिश्चित करेगा, केस से जुड़ीं जानकारी तक आसान पहुंच प्रदान करेगा और कम समय में याचिका दाखिल करने में मदद करेगा। इन सभी लाभों के द्वारा न्यायिक प्रक्रिया तीव्र हो सकेगी।

1.4. ICT विजन डॉक्यूमेंट 2025

(ICT vision document 2025)

चुनाव आयोग ने ICT विज़न डॉक्यूमेंट 2025 प्रस्तुत किया है। इसके अंतर्गत चुनावी परिवेश में नवीन प्रौद्योगिकियों को अपनाने तथा पहले से मौजूद प्रौद्योगिकियों को समेकित करने की रणनीति की व्याख्या की गई है। ICT 2025 के चार प्रमुख घटक हैं:

इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन

GIS, एनालिटीक्स एंड इंटीग्रेटेड कांटेक्ट सेंटर

डेटा सेंटर, IT सिक्यूरिटी, डिजास्टर रिकवरी सहित IT इंफ्रास्ट्रक्चर

ज्ञान प्रबंधन, क्षमता निर्माण और सोशल मीडिया का उपयोग।

1.5. म्युनिसिपल बांड

(Municipal Bonds)

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में, 14 राज्यों के 94 शहरों को म्युनिसिपल बांड जारी करने के लिए उनकी तैयारी के आधार पर क्रिसिल (CRISIL) जैसी एजेंसियों ने क्रेडिट रेटिंग प्रदान की।
- इस एजेंसियों द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन और AMRUT मिशन के अंतर्गत आने वाले शहरों का मूल्यांकन किया गया।
- इनमें से 55 शहरों को "इन्वेस्टमेंट ग्रेड" रेटिंग प्राप्त हुई जबकि 39 शहरों को इन्वेस्टमेंट ग्रेड (BBB-) से नीचे की क्रेडिट रेटिंग प्राप्त हुई हैं।

आवश्यकता

- भारतीय शहरों का राजस्व, सकल घरेलू उत्पाद के 1% से भी कम है। इसी का परिणाम है कि भारतीय शहर वित्तीय रूप से पर्याप्त स्वायत्त नहीं हो सके हैं।

VISION IAS

पृष्ठभूमि

- इशर जज अहलूवालिया (2011) की अध्यक्षता वाली शहरी अवसंरचना संबंधी समिति ने अनुमान लगाया कि भारतीय शहरों को अगले दो दशक अर्थात 2031 तक स्थिर कीमतों पर लगभग 40 ट्रिलियन रूपए निवेश करने की आवश्यकता होगी।
- सेबी द्वारा 2016 में म्युनिसिपल बांड संबंधी विनियम जारी किए गए।
  - ✓ यदि म्युनिसिपल बांड कुछ निश्चित नियमों के अनुरूप हों तथा उनकी ब्याज दरें बाजार आधारित हों तो भारत में म्युनिसिपल बांड को कर-मुक्त कर दिया जाना चाहिए।
  - ✓ नगर निगमों को इन्वेस्टमेंट ग्रेड क्रेडिट रेटिंग बनाए रखने की आवश्यकता है तथा उन्हें परियोजना लागत का कम से कम 20 प्रतिशत योगदान करना होगा।
  - ✓ नगर निगम पिछले एक वर्ष में प्राप्त किसी भी ऋण के संबंध में डिफाल्टर की स्थिति में नहीं होनी चाहिए।
  - ✓ नगर निगमों को ऋण के मूलधन की वापसी सुनिश्चित करने हेतु ऋण को पूर्ण परिसंपत्ति कवर (फुल एसेट कवर) प्रदान करना होगा। इन बांड्स को जिस परियोजना के लिए जारी किया गया है, उस परियोजना के माध्यम से प्राप्त धन को एक अलग एस्क्रौ अकाउंट में रखना होगा। बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा इस अकाउंट की नियमित रूप से निगरानी की जाएगी।
- 2017 में नीति आयोग द्वारा प्रस्तावित त्रिवर्षीय कार्यवाही एजेंडा में म्युनिसिपल बांड मार्किट के उपयोग करने की बात भी की गई है।

DETAILS OF CITIES AND TOWNS AND RESPECTIVE CREDIT RATINGS:

Credit ratings	Cities/Towns
AA+	New Delhi Municipal Council (NDMC), Navi Mumbai and Pune
AA	Ahmedabad, Visakhapatnam and Greater Hyderabad Municipal Corporation
AA-	Surat, Nashik, Thane and Pimpri-Chindwad
A+	Indore, Kishanganj(Rajasthan), Kolkata, Vadodara(Gujarat) and Warangal(Telangana)
A	Jhunjhunu (Rajasthan)
A-	Alwar, Bhiwadi, Beawar, Jaipur(Raj), Bhopal,Jabalpur(MP), Mira Bhayandar(Maha) and New Town Rajarhat(W.Bengal)
BBB+	Ajmer , Kota and Udaipur(Rajasthan), Ludhiana(Punjab) and Jamnagar(Guj)
BBB	Kakinada, Anantapur, Kurnool and Tirupati (Andhra Pradesh), Davanagere and Hubbali-Dharwar(Karnataka), Kochi and Trivendrum (Kerala), Panaji (Goa), Kolhapur and Nagpur(Maharashtra), Jodhpur, Nagaur and Tonk(Rajasthan)
BBB-	Amaravati (Maharashtra), Belgavi (Karnataka), Bharuch and Bhavnagar (Gujarat), Bharatpur, Bhilwara, Bikaner and Hanumangarh(Rajasthan), Chittor and Cuddapah (Andhra Pradesh), Cuttack (Odisha), Ranchi (Jharkhand).
BB+	Proddatur, Nandyal and Nellore (Andhra Pradesh), Kollam and Kozhikode (Kerala), Kalol, Nadiad and Navsarai (Gujarat), Nanded and Solapur (Maharashtra), Gangapur City, Dhaulpur, Pali and Sawai Madhopur (Rajasthan)
BB	Adoni and Tadipatri (Andhra Pradesh), Dwaraka (Gujarat), Aizawal (Mizoram), Thrisur (Kerala), Berhampur, Rourkela and Sambhalpur (Odisha), Bundi, Churu, Chittorgarh, Hindaun, Jodhpur and Sujangarh (Rajasthan)
BB-	Adityapur, Chas, Deogarh and Giridh (Jharkhand), Mori (Gujarat), Baran and Jhalawar (Raj)
B+	Baripada and Puri (Odisha) and Hazaribagh (Jharkhand)
B	Bhadrak (Odisha)

Source: Ministry of Urban Development

MUNI MATTERS

FUND FUNDAS

- In India, **urban local bodies (ULBs)** can raise funds of **Rs 10,000cr** from markets by issuing munis
- States willing to tap market need **projects rated by Crisil, ICRA or Fitch**
- Move to give municipal bodies **more resources** to fund infra needs
- Market for munis in India almost **non-existent** unlike countries such as US where this is principal mode of financing urban infrastructure
- Developing countries like **South Africa, Hungary, Russia, and Mexico** also have developed muni markets
- Push to govt's **city-building project**, munis seen as fund-raiser beyond Centre & state grants, PPPs
- Munis market saw promising start, but **drastically slowed last decade**
- **Market peaked in 2005-6** when ULBs raised Rs 3,000m (compared to Rs 750m in 2001)
- **Fell sharply.** In 2007, total turnover in muni market was Rs 300m
- **Unrealistic** to expect cities to have track record & credibility to mobilise private funding
- Small/medium ULBs **can't access capital markets** directly on strength of their balance sheets
- Only large ULBs such as **Ahmedabad, Indore, Pune, Kolkata, Hyderabad** etc able to utilize munis
- Now **even these find it hard** to raise funds via munis
- **Ahmedabad Municipal Corp first ULB to access Indian capital market**

Amount of municipal bonds placements (1997-2007) (World Bank)

City	Amount (Rs million)	Interest (%)
WATER SUPPLY & SEWERAGE		
Ahmedabad	1,000	14%
Ludhiana	100	13.5-14
Nagpur	500	13
Nashik	1,000	14.75
Ahmedabad*	1,000	9
Tamil Nadu**	110	9.2
CITY ROADS, STREET DRAINS		
Bangalore	1,250	13
IMPROVEMENT OF CITY ROADS		
Indore	100	
Madurai	300	12.25

*Tax free **Pooled Financing

Amount of municipal bonds placements (1997-2007)

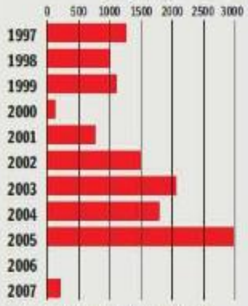

Source: World Bank studies on Municipal Financing Framework, Vol 1

Source: Working paper on Financing via Municipal Bonds in India, International Growth Centre, London School of Economics (April 2013), Icrier, TOI

WHO'S IN CHARGE?

- It's a **complex web at the ULB level** that hinders an enabling environment to access funds in India's debt market
- Multiple authorities have **overlapping jurisdictions**, both at city and state-level
- Urban Development' is a **'state subject'**
- This led to problem of **'moral hazard'** in municipal debt market where most of regulatory responsibility lies with municipal borrowers
- The borrower-lender interface with states but most of the **responsibility affecting lenders** with the Government of India
- In the **event of municipal insolvency or bond default, difficult to visualise who will bail out the ULB**
- For access to funds and to leverage additional resources, **municipalities need to become creditworthy**
- In all **22 munis** have been floated in the market so far. The total amount of capital raised is a **paltry Rs 1,200 cr** (Vaidya, 2009)

महत्व

- शहरी स्थानीय निकायों की परियोजनाओं की निम्न व्यवहारिकता एवं लंबी परिपक्वता अवधि होती हैं एवं साथ ही लागत वसूल कर पाने की संभावना निम्न से लेकर मध्यम होती हैं। कम लागत पर उधार प्राप्ति इन शहरी स्थानीय निकायों के लिए एक लाभपूर्ण स्थिति होगी। जिस नगर निगम की रेटिंग अधिक होगी, उसके लिए ब्याज और उधार की लागत उतनी ही कम होगी।

- शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्वतंत्रता के लिए म्युनिसिपल बांड आवश्यक हैं।

चुनौतियां

- बॉन्ड निवेशक शहरों में पैसा तब तक निवेश नहीं करेंगे, जब तक कि वे नगर निगमो की राजकोषीय क्षमता के सम्बन्ध में आश्वस्त न हो जाए।
- अब तक अधिकांश म्युनिसिपल बांड निजी तौर पर जारी किये गए हैं और ये व्यापार योग्य नहीं हैं। इससे म्युनिसिपल बांड्स में निवेश बाधित हुआ है। वास्तव में ये बांड्स राज्य द्वारा गारंटी प्राप्त होने चाहिए।
- यह असमानताओं का एक स्रोत भी हो सकता है क्योंकि बेहतर रेटिंग प्राप्त नगर निगम, निवेश का अधिकांश हिस्सा प्राप्त कर सकते हैं। पहले से ही अवसंरचनात्मक विकास में पिछड़े शहर निवेश के सन्दर्भ में क्राउडिंग आउट इफ़ेक्ट का शिकार बन सकते हैं।

आगे की राह

- **सर्वश्रेष्ठ परम्पराएं**

✓ डेवलपमेंट बैंक ऑफ साउथ अफ्रीका, म्युनिसिपल बांड इशु को सहायता करने हेतु अपने बैलेंस शीट का उपयोग करता है।

✓ डेनमार्क में शहरों के समूह (pool of the cities) में से किसी एक शहर के डिफॉल्ट होने की स्थिति में बांड धारकों के हितों की रक्षा के लिए एक एजेंसी मौजूद है।

✓ जापान में जापान फाइनेंस कार्पोरेशन फॉर म्युनिसिपल फाइनेंस इस कार्य हेतु सॉवरेन गारंटी प्रदान करता है। भारत को ऐसी ही सर्वोत्तम परम्पराओं को अपनाना चाहिए।

- म्युनिसिपल बांड को शहर के वित्तपोषण हेतु केवल एक अवयव के रूप में देखा जाना चाहिए। शहरों को राजस्व के लिए और अधिक स्रोतों के खोज करने की जरुरत है। इस दिशा में नए GST तंत्र के माध्यम से एकत्रित फंड एक नवीन स्रोत सिद्ध हो सकता है। इन सभी प्रयासों के लिए शहरी प्रशासन को सशक्त बनाए जाने की आवश्यकता है।

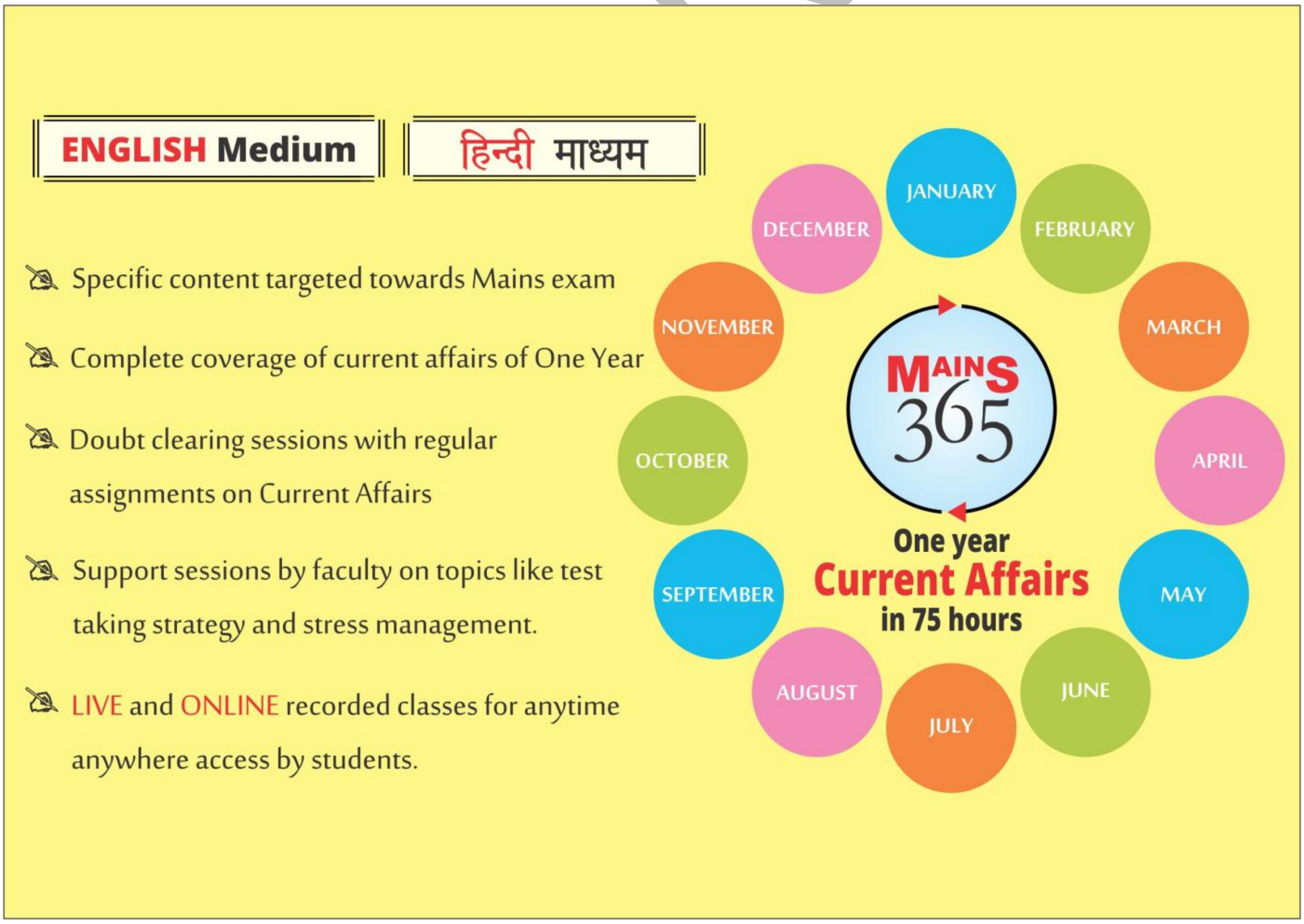

2. अंतर्राष्ट्रीय/ भारत और विश्व

(INTERNATIONAL/INDIA AND WORLD)

2.1. भारत-पाकिस्तान

(India-Pakistan)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice: ICJ) ने अंतिम निर्णय देने तक कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगा दी है। कुलभूषण जाधव को पाकिस्तानी सैन्य न्यायालय द्वारा जासूसी के आरोप में मौत की सजा सुनाई गयी थी।

- न्यायालय ने कहा कि विएना कन्वेंशन के अनुसार भारत को कुलभूषण जाधव तक राजनयिक पहुंच प्रदान करने का मौका दिया जाना चाहिए था।
- पाकिस्तान को अब इस आदेश को कार्यान्वित करने के लिए उठाये गए कदमों के बारे में न्यायालय को सूचित करना चाहिए।
- ICJ के न्यायाधीशों ने स्पष्ट किया है कि ये अनंतिम उपाय उस देश पर बाध्यकारी हैं तथा साथ ही उस पर अंतरराष्ट्रीय विधिक बाध्यता आरोपित करते हैं, जिसे संबोधित करते हुए ये सुनाये गए हैं।

कुलभूषण जाधव केस की पृष्ठभूमि

कुलभूषण जाधव को 3 मार्च, 2016 को पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा पर बलूचिस्तान के चमन इलाके में गिरफ्तार किया गया था।

- भारत ने जाधव के भारत सरकार से किसी भी प्रकार के संपर्क की बात को नकार दिया है। सरकार ने कहा कि वह नौसेना से "समयपूर्व सेवानिवृत्ति" के बाद ईरान के बंदरगाह शहर चाबहार में एक व्यवसाय चला रहा था।
- भारत का मानना है कि कुलभूषण जाधव को ईरान से अपहृत कर लिया गया था तथा उसके बाद पाकिस्तान में उसकी उपस्थिति की विश्वसनीय व्याख्या नहीं की गयी है।
- कुलभूषण जाधव को साढ़े तीन महीने की सुनवाई के उपरांत एक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल द्वारा जासूसी के आरोप में दोषी सिद्ध कर 10 अप्रैल 2017 को मौत की सजा सुनाई गई थी।

भारत द्वारा मामले को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में उठाना

- जाधव को राजनयिक पहुंच देने से इनकार करने और राजनयिक संबंधों पर विएना कन्वेंशन का उल्लंघन करने के कारण भारत ने 8 मई 2017 को पाकिस्तान के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
- भारत ने पाकिस्तान पर विएना कन्वेंशन का उल्लंघन करने और "पर्याप्त सबूतों (shred of evidence)" के बिना जाधव को दोषी ठहराए जाने को लेकर "दोषपूर्ण सुनवाई" (farcical trial) करने का आरोप लगाया।

ICJ में भारत के तर्क:

15 मई, 2017 को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुलभूषण जाधव मामले में भारत द्वारा प्रस्तुत किये गए प्रमुख तर्क निम्नलिखित हैं:

- कुलभूषण जाधव को उचित कानूनी सहायता पाने तथा राजनयिक पहुंच का अधिकार प्रदान नहीं किया गया।
- जब तक ICJ में इस अपील पर सुनवाई जारी है तब तक जाधव को दिए गए मृत्युदंड का निष्पादन नहीं किया जा सकता है। अन्यथा, यह विएना कन्वेंशन का उल्लंघन होगा।
- जाधव का ईरान से अपहरण कर लिया गया था जहां वह भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त होने के बाद व्यापारिक गतिविधियों में शामिल था।

ICJ में पाकिस्तान के तर्क

ICJ द्वारा आहूत 15 मई की सुनवाई में, पाकिस्तान ने भारत के अनुरोध के साथ निम्नांकित तीन समस्याओं को रेखांकित करते हुए इस अपील को ख़ारिज करने की मांग की।

- इस मामले में कोई "तात्कालिकता" (urgency) नहीं है, क्योंकि जाधव की फांसी की तिथि अभी तक तय नहीं की गयी है;
- भारत द्वारा मांगी जाने वाली अंतिम राहत, अर्थात जाधव की दोषसिद्धि का "व्युत्क्रमण (reversal)" अनुपलब्ध है; तथा
- यह मामला न्यायालय (ICJ) के क्षेत्राधिकार से परे है।
- इसके अतिरिक्त, पाकिस्तान ने तर्क दिया कि विएना कन्वेंशन के प्रावधान आतंकवादी गतिविधियों में शामिल किसी 'जासूस' पर लागू नहीं होते।

VISION IAS

विश्लेषण

भारत द्वारा ICJ में अपील का तात्कालिक उद्देश्य प्राप्त कर लिया गया है। इसके तहत पाकिस्तान को वे सभी कदम उठाने के लिए निर्देशित किया गया है जिससे इस मामले की सुनवाई पूरी होने तक कुलभूषण जाधव की सजा स्थगित रहे।

- यह क्षेत्राधिकार, तात्कालिकता और पाकिस्तान द्वारा विएना कन्वेंशन का उल्लंघन करने के मुख्य आरोपों के मुद्दों पर भारत के लिए एक पूर्ण जीत है। हालांकि, यह एक प्रारंभिक निर्णय है और सभी मुद्दे अंतिम चरण के निर्णय तक खुले हैं।
- एक तात्कालिक परिणाम के रूप में, पाकिस्तान अब जाधव को राजनयिक पहुंच देने के दायित्व के अधीन है।
- भारत को इस फैसले से नैतिक और कूटनीतिक लाभ उठाते हुए सिविलियन कोर्ट के समक्ष जाधव की बेगुनाही साबित करने और स्वतंत्र होने में जाधव की मदद करनी होगी।

विशेषता	**अंतरराष्ट्रीय न्यायालय International Court of Justice (ICJ)**	**अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय International Criminal Court (ICC)**
स्थापना	1946	2002
संयुक्त राष्ट्र संघ से सम्बन्ध	संयुक्त राष्ट्र का आधिकारिक न्यायालय, जिसे सामान्यतः "विश्व न्यायालय" कहा जाता है।	स्वतंत्र। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से मामलों के रेफरल प्राप्त कर सकता हैं। संयुक्त राष्ट्र की कार्रवाई या रेफरल के बिना अभियोजन शुरू कर सकता हैं।
अवस्थिति	पीस पैलेस, हेग, नीदरलैंड्स	हेग, नीदरलैंड्स
क्षेत्राधिकार	संयुक्त राष्ट्र के सदस्य-राज्य (अर्थात् राष्ट्रीय सरकार)	व्यक्तिगत
मुकदमों के प्रकार	(1) पक्षों के बीच विवाद (2) सलाहकारी राय	व्यक्तियों पर आपराधिक मुकदमा
विषय वस्तु	संप्रभुता, सीमा विवाद, समुद्री विवाद, व्यापार, प्राकृतिक संसाधन, मानवाधिकार, संधि के उल्लंघन, संधि व्याख्या तथा अनेक अन्य मामले।	नरसंहार, मानवता के विरुद्ध अपराध, युद्ध अपराध, आक्रामकता के अपराध
प्राधिकृत करने वाली विधिक प्रक्रिया	अनुच्छेद 93 के तहत, जो राज्य UN चार्टर का समर्थन करते हैं ICJ संविधि के भागीदार बन जाते हैं। गैर-संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्य भी ICJ संविधि का समर्थन करके ICJ में भागीदार बन सकते हैं। प्रत्येक राज्य को सुनिश्चित समझौते, घोषणा या संधि उपबंध के अनुसार किसी भी विवादास्पद मामले को सहमति प्रदान करनी होगी।	रोम संविधि (भारत ने रोम संविधि पर हस्ताक्षर नहीं किया है)
अपीलें	कोई नहीं। विवादास्पद मामले में ICJ निर्णय पक्षों पर बाध्यकारी है। यदि कोई देश निर्णय का पालन करने में विफल रहता है, तो यह मुद्दा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ले जाया जा सकता है, जिसमें प्रवर्तन की समीक्षा करने, सिफारिश करने और निर्णय करने का अधिकार है।	अपील चैंबर। रोम संविधि का अनुच्छेद 80, निर्दोष सिद्ध कर दिए गए किसी अभियुक्त के निरोध की अनुमति प्रदान करता है जिसकी अपील लंबित हो।

VISION IAS

2.2. भारत- फिलिस्तीन

(India-Palestine)

सुर्ख़ियों में क्यों?

फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने हाल ही में भारत का दौरा किया।

इस यात्रा की मुख्य विशेषताएं

- भारत और फिलिस्तीन ने **पांच समझौता ज्ञापनों** (MoUs) पर हस्ताक्षर किए। राष्ट्रपति अब्बास की यात्रा के दौरान किये गए MoUs की सूची में शामिल हैं:

✓ राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट पर वीजा इग्ज़ेम्शन (Visa Exemption) पर MoU

✓ युवा मामलों और खेल में सहयोग पर MoU

✓ कृषि सहयोग पर MoU

✓ स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग पर MoU

✓ सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स पर MoU

- **फिलिस्तीन के लिए "राजनीतिक समर्थन":**

✓ भारत ने फिलिस्तीन के मुद्दे के राजनीतिक समाधान के लिए अपने समर्थन की पुष्टि की।

✓ प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत एक सार्वभौम, स्वतंत्र, एकीकृत और सक्षम फिलिस्तीन की उम्मीद करता है, जो इज़राइल के साथ शांतिपूर्वक रहे।

✓ **फिलिस्तीन और इज़राइल के मध्य शांति वार्ता**

✓ भारत आशा करता है कि फिलिस्तीनी और इजरायली पक्षों के बीच व्यापक समाधान की दिशा में आगे बढ़ने हेतु वार्ता को शीघ्र ही पुनःआरम्भ किया जाएगा।

- **फिलिस्तीन में क्षमता निर्माण**

✓ भारत फिलिस्तीन को सामग्री और तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है तथा रामल्लाह में 12 लाख डॉलर की लागत के एक टेक्नो पार्क का निर्माण कर रहा है।

- दोनों देशों ने दोनों पक्षों के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान में वृद्धि करने पर जोर दिया है। भारत ने अगले महीने आयोजित होने वाले अंतरराष्ट्रीय योग दिवस में भाग लेने हेतु फिलिस्तीन को आमंत्रित किया है।
- फिलिस्तीनी राष्ट्रपति ने आतंकवाद के सभी रूपों और इसकी सभी प्रकार की अभिव्यक्तियों की निंदा की। साथ ही इस संकट से निपटने के लिए क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का आह्वान किया।

पृष्ठभूमि

भारत और फिलिस्तीन के मध्य ऐतिहासिक रूप से करीबी और मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं।

- 1947 में, भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन के विभाजन के खिलाफ मतदान किया था।
- 1974 में फिलिस्तीनी लोगों के एकमात्र और वैध प्रतिनिधि के रूप में फिलीस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन (PLO) को स्वीकारने वाला भारत पहला गैर-अरब राज्य था। भारत 1988 में फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देने वाले प्रारंभिक देशों में से एक था।
- 1996 में, भारत ने गाज़ा में फिलिस्तीन अथॉरिटी के लिए अपना प्रतिनिधि कार्यालय स्थापित किया, जिसे बाद में 2003 में रामल्लाह में स्थानांतरित कर दिया गया।

2.3. भारत-श्रीलंका

(India-Sri Lanka)

सुर्ख़ियों में क्यों?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलंबो में होने वाले UN वेसाक डे (UN Vesak day) समारोह में भाग लेने के लिए श्रीलंका का दौरा किया।

इस यात्रा की मुख्य विशेषताएं

- प्रधानमंत्री ने कहा कि वेसाक डे की थीम **"सोशल जस्टिस एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड पीस"** बुद्ध की शिक्षाओं से गहराई से सम्बद्ध हैं।
- प्रधानमंत्री ने भारत की सहायता से बने डिकोया हॉस्पिटल का उद्घाटन किया।
- उन्होंने श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों की भावना का स्वागत करते हुए आतंरिक क्षेत्रों में 10,000 अतिरिक्त घरों के निर्माण तथा इमरजेंसी एम्बुलेंस सर्विस का विस्तार करने की घोषणा की।

वेसाक क्या है?

वेसाक (सिंहली), वेसाखा (पाली), वैसाखा (संस्कृत) श्रीलंका के पारंपरिक चंद्र कैलेंडर (लूनर कैलेंडर) में दूसरे महीने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाले नाम है। यह ग्रेगोरीयन कैलेंडर (सोलर कैलेंडर) के मई महीने के अनुरूप है।

- वेसाक महीने में पूर्णिमा के दिन राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म हुआ, वे बुद्ध हुए और फिर उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया।
- वेसाक बौद्ध इतिहास के तीन महत्वपूर्ण स्थानों से सम्बद्ध है; ये स्थान हैं- राजकुमार सिद्धार्थ का जन्मस्थान नेपाल में लुम्बिनी; भारत के बिहार में स्थित बोधगया (बुद्ध गया), जहाँ बुद्ध ने एक बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया और भारत के ही उत्तर प्रदेश में कुशीनगर (कुसीनारा) है, जहां बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया।

यूनाइटेड नेशन्स इंटरनेशनल डे ऑफ़ वेसाक

इंटरनेशनल डे ऑफ़ वेसाक, UN द्वारा वर्ष 1999 में घोषित किया गया एक राष्ट्रीय अवकाश है। इस हेतु प्रस्ताव श्रीलंका द्वारा पेश किया गया था। वर्ष 2017 में, यूनाइटेड नेशन्स इंटरनेशनल डे ऑफ़ वेसाक का आयोजन श्रीलंका ने किया। इसका विषय (थीम) **"बुद्धिस्ट टीचिंग्स फॉर सोशल जस्टिस एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड पीस" (Buddhist Teachings for Social Justice and Sustainable World Peace)** था।

2.4. साउथ एशिया सेटेलाइट

(South Asia Satellite)

यह उपग्रह पूर्णतया भारत द्वारा वित्तपोषित, पहला दक्षिण एशियाई उपग्रह (GSAT-9) है। हाल ही में इसरो द्वारा इस उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया है। इसने भारत की ***नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी*** को बढ़ावा देने के साथ-साथ भारत को विशिष्ट रूप से अंतरिक्ष कूटनीति में नामांकित किया है।

साउथ एशिया सेटेलाइट के बारे में

- यह उपग्रह भारत की ओर से दक्षिण एशियाई देशों के लिए एक उपहार है। इसका वजन 2,230 किग्रा है तथा इसका उपयोग **जियोसिंक्रोनस कम्युनिकेशन** और मौसम विज्ञान सम्बन्धी गतिविधियों के लिए किया जायेगा।
- इससे प्राकृतिक संसाधनों के मानचित्रण, टेलीमेडिसिन, IT कनेक्टिविटी, DTH कनेक्टिविटी, अपेक्षाकृत अधिक सटीक मौसम पूर्वानुमान और प्राकृतिक आपदाओं के प्रति त्वरित अनुक्रिया जैसे लाभ मिलेंगे।
- पाकिस्तान को छोड़कर सभी सार्क देश इस परियोजना का हिस्सा हैं। इसलिए इसे "सार्क सेटेलाइट" न कहकर साउथ एशिया सेटेलाइट नाम दिया गया है।
- इससे जुड़े अन्य महत्वपूर्ण बिंदु है:-

✓ यह **इलेक्ट्रिकल प्रोपल्शन** का उपयोग करने वाला पहला भारतीय उपग्रह है।

✓ यह *GSLV क्रायोजेनिक अपर स्टेज* की लगातार चौथी सफलता है जिससे इस तकनीकी की बेहतर भविष्य की क्षमता का संकेत मिलता है।

भारत के लिए अंतरिक्ष कूटनीति का महत्व

- **शांतिपूर्ण और समृद्ध पड़ोस** -इस लांच ने निरंतर सहयोग हेतु मार्ग प्रशस्त करते हुए भारत की नेबरहूड पॉलिसी को सशक्त किया है।
- **अंतरिक्ष राजस्व**- भारत की प्रक्षेपण क्षमताओं के कारण अंतरिक्ष राजस्व की काफी संभावनाएं हैं। इंडोनेशिया, कजाकिस्तान सहित कई देश अंतरिक्ष मामलों में इसरो के साथ सहयोग करना चाहते हैं।

- **अंतरिक्ष में चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करना-** चीन कूटनीति के लिए अंतरिक्ष का शक्तिशाली उपकरण के रूप में उपयोग कर रहा है। उदाहरण के लिए: चीन द्वारा पाकिस्तान, बांग्लादेश और अन्य देशों के साथ मिलकर एशिया-प्रशांत अंतरिक्ष सहयोग की स्थापना तथा श्रीलंका में अंतरिक्ष अकादमी की स्थापना।
- **वैश्विक अंतरिक्ष दौड़ में पहचान बनाए रखने के लिए** - अंतरिक्ष अभियान के क्षेत्र में 60 से अधिक देश प्रयास कर रहे है। इस दिशा में अधिकांश एशियाई देशों के शामिल होने के कारण, भविष्य में अंतरिक्ष में सहयोग को भारत के विदेश नीति निर्धारको के रूप में देखा जा रहा है।
- **सामाजिक समस्याओं के लिए सहयोग-** अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के सामाजिक अनुप्रयोगों के क्षेत्र में भारत एक नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरा है। इस तरह हम अंतरिक्ष में दूसरे देशों की क्षमता निर्माण के क्षेत्र में सहयोग करके भूमि, जल, वन, फसल आदि से सम्बंधित समस्याओं को हल कर सकते हैं।

2.5. UN-हेबिटेट

(UN-Habitat)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत को सर्वसम्मति से UN-हैबिटेट के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। UN-हैबिटेट संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है। यह समग्र विश्व में स्थायी मानवीय बस्तियों के निर्माण को बढ़ावा दे रहा है।

- भारत की ओर से, आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री अगले दो वर्षों के लिए UN-हैबिटेट के गवर्निंग काउंसिल (GC) की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। UN-हैबिटेट की गवर्निंग काउंसिल के सदस्यों की संख्या 58 है।
- **वर्ष 1978** में **UN-हैबिटेट** की स्थापना की गई। वर्ष 1988 और वर्ष 2007 के बाद यह **तीसरा मौक़ा** है जब भारत को इस संगठन का नेतृत्व करने के लिए चुना गया है।

UN-हैबिटेट के सम्बन्ध में:

द यूनाइटेड नेशन्स ह्यूमन सेटलमेंटस प्रोग्राम (UN-हेबिटेट) मानव बस्तियों और सतत शहरी विकास के लिए **UN एजेंसी है।**

- इसकी स्थापना वर्ष 1976 में कनाडा के वैंकूवर में **ह्यूमन सेटलमेंट एंड सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट (हैबिटैट-I)** पर आयोजित हुए पहले संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के परिणामस्वरुप की गई थी।
- UN-हैबिटेट का मुख्यालय **नैरोबी, केन्या में** संयुक्त राष्ट्र के कार्यालय में ही स्थित है।
- इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सभी के लिए पर्याप्त आवास उपलब्ध कराने के लक्ष्य के साथ-साथ सामाजिक और पर्यावरण की दृष्टि से स्थायित्वपूर्ण कस्बो और शहरों को बढ़ावा देने के लिए अधिदेश (मेंडेट) प्रदान किया गया है।
- यह **यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ग्रुप** का सदस्य है।
- UN-हैबिटेट को अधिदेश (मेंडेट) वर्ष 1996 में इस्तांबुल, टर्की में हुए **यूनाइटेड नेशन्स कांफ्रेंस ऑन ह्यूमन सेटलमेंट (हैबिटैट II)** द्वारा अपनाए गए हेबिटेट एजेंडा से प्राप्त होता है।

2.6. वन बेल्ट वन रोड (OBOR) समिट

[One Belt One Road (OBOR) Summit]

चीन ने भव्य दो दिवसीय OBOR शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में चीन ने अपने व्यापार मार्गों के नेटवर्क- **वन बेल्ट, वन रोड (OBOR)** का निर्माण करने की योजनाओं का प्रदर्शन किया। OBOR एशिया, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और यूरोप को जोड़ेगा।

- बीजिंग में संपन्न हुए *वन बेल्ट, वन रोड* या *बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI)* फोरम में देश या सरकार के 29 प्रमुखों और लगभग 100 देशों के आधिकारिक प्रतिनिधिमंडलों ने भाग लिया।
- भूटान को छोड़कर, भारत के सभी पड़ोसियों ने इस शिखर सम्मेलन के लिए उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भेजे थे।
- चीन ने वन बेल्ट वन रोड (OBOR) को विश्व के लिए अत्यधिक आर्थिक महत्व (**immense economic sense**) का बताया और इसे 'सदी के महानतम प्रोजेक्ट (**project of the century**)' के रूप में प्रस्तुत किया।

OBOR पर भारत की आपत्ति

भारत ने **बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI)** शिखर सम्मेलन से दूर रहकर अपनी चिंताएं सार्वजनिक कर दी हैं। जैसे;-

VISION IAS

- पहला कारण, BRI की एक प्रमुख परियोजना **चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC)** है। यह गलियारा गिलगिट-बाल्टिस्तान क्षेत्र से होकर गुजरता है तथा इसमे भारत की "संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता" की अनदेखी की गई है।
- भारत का दावा है कि चीन न केवल भारत की संप्रभुता के प्रति असंवेदनशील है, बल्कि इसने बेल्ट एंड रोड पहल (पहले वन बेल्ट वन रोड कहा गया है) के लिए अपनी योजना का खुलासा भी पूरी तरह नहीं किया है। चीन के एजेंडे में पारदर्शिता की कमी है। भारत का मानना है कि BRI सिर्फ एक आर्थिक परियोजना नहीं है, बल्कि राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करने के लिए चीन इसे बढ़ावा दे रहा है।
- दूसरा कारण **BRI इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर (BRI infrastructure project structure)** है, जो चीन के नव-उपनिवेशवाद के चरित्र को दर्शाता है। ऐसी परियोजनाएं छोटे देशों को ऋण के चक्र में धकेल सकती हैं, पारिस्थितिकी को नष्ट कर सकती हैं और स्थानीय समुदायों के जीवन को प्रभावित कर सकती हैं।

विश्लेषण

भारत द्वारा इस बैठक में न जाने का निर्णय, NSG में भारत के प्रवेश और पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूह जैश-ए-मोहम्मद नेता मसूद अजहर पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंध लगाने के प्रयासों के विरुद्ध चीन की हठधर्मिता जैसे द्विपक्षीय विवादों के एक वर्ष बाद लिया गया है।

- भारत द्वारा एक पर्यवेक्षक के रूप में भी इसमें शामिल नहीं होने का निर्णय इसके लिए कूटनीति के दरवाजे बंद कर देगा। जबकि अमेरिका और जापान जैसे देश जो BRI का हिस्सा नहीं हैं लेकिन फिर भी उन्होंने अपने प्रतिनिधिमंडल भेजे हैं।
- भारत में कुछ लोग यह भी तर्क दे रहे है कि भारत बीजिंग सम्मलेन का बहिष्कार करके, OBOR के रूप में प्राप्त होने वाले कुछ बड़े तथा अंतहीन लाभों से वंचित रह जायेगा।
- भारत को आगे कुछ और कठिन निर्णय लेने पड़ सकते हैं क्योंकि भारत **एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक** के एक सह-संस्थापक और **शंघाई कोऑपरेशन (जून 2017 से)** का सदस्य है और इस नाते भारत को BRI के तहत आने वाली कई परियोजनाओं को सहयोग करने के लिए कहा जाएगा।
- **संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने BRI के समर्थन** में कहा था कि BRI में वैश्विक विकास के लिए एक साझा दृष्टिकोण निहित है**।** UN महासचिव के इस रुख को देखते हुए भारत का परियोजना से दूर होना एक अच्छा विकल्प नहीं कहा जायेगा।

आगे की राह:

भारत को चीन के साथ अपनी विशिष्ट शिकायतों का सक्रिय रूप से समाधान निकालना चाहिए। अपनी चिंताओं को अन्य भागीदार देशों के साथ और अधिक प्रभावी तरीके से व्यक्त करना चाहिए। इसके अतिरिक्त भारत को बेहतर संपर्क (connectivity) स्थापित करने के प्रयास से बाहर रहने के बजाय स्वयं को एशियाई नेता के रूप में स्थापित करना चाहिए।

- सैन्य अभ्यास **सिम्बेक्स** - यह भारतीय नौसेना और सिंगापुर गणराज्य की नौसेना (RSN) द्वारा आयोजित एक वार्षिक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। भारत और सिंगापुर ने **विवादित दक्षिण चीन सागर में 'सिंगापुर इंडिया मेरीटाइम बाईलेटरल एक्सरसाइज' (Singapore India Maritime Bilateral Exercise :SIMBEX)** का आयोजन किया।
- **कॉरपैट- इंडोनेशियाई नौसेना और भारतीय नौसेना** वर्ष 2002 से ही वर्ष में दो बार समन्वित गश्त (coordinated patrol :CORPAT) में भाग ले कर हिन्द महासागर क्षेत्र के इस महत्वपूर्ण भाग को कमर्शियल शिपिंग और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए सुरक्षित और संरक्षित रखने का प्रयास कर रही है। अंडमान एंड निकोबार कमांड के तत्वावधान में पोर्ट ब्लेयर में भारत-इंडोनेशिया कॉर्पैट की 29वीं श्रृंखला प्रारम्भ हुई है।

3. अर्थव्यवस्था

(ECONOMY)

3.1. GM सरसों का वाणिज्यीकरण

(Commercialisation of GM Mustard)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

- जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेज़ल कमिटी (Genetic Engineering Appraisal Committee: GEAC) ने कुछ शर्तों के अधीन 4 वर्षों के लिए GM सरसों के वाणिज्यिक इस्तेमाल के लिए एक सकारात्मक अनुशंसा दे दी है।

GEAC के बारे में

- यह पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoFCC) के अंतर्गत **एक सांविधिक निकाय है।**
- यह वातावरण में अनुवांशिक इंजीनियर्ड जीवों और उत्पादों को छोड़ने/मुक्त करने से सम्बंधित प्रस्तावों के अनुमोदन से सम्बंधित शीर्ष निकाय है।
- GEAC जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत आने वाले RCGM (रिव्यु कमिटी ऑन जेनेटिक मैनीपुलेशन) से अनुमोदन के बाद ही ट्रायल के लिए प्रस्तावों पर विचार करता है। RCGM वैज्ञानिकों से मिलकर बना एक निकाय है।

पृष्ठभूमि

- भारत ने अब तक केवल एक गैर खाद्य फसल GM कपास, को अनुमति दी है। नीति आयोग ने हाल ही में, अपने तीन वर्षीय मसौदा कार्य योजना (three-year draft action plan) में GM खाद्य फसलों का भी समर्थन किया है।
- भारत आयातित खाद्य तेल पर लगभग 12 बिलियन डॉलर का व्यय करता है। जनसंख्या एवं प्रति व्यक्ति आय के बढ़ने के साथ इस व्यय में भी वृद्धि होगी।
- 2010 में, GEAC ने बीटी बैंगन के वाणिज्यीकरण की भी मंजूरी दी थी। हालांकि, उसके बाद व्यापक विरोध के चलते पर्यावरण मंत्री ने इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष इस सन्दर्भ में एक मामला लंबित है।

GM सरसों के पक्ष में तर्क

- **श्रेष्ठतर फसलें** - ये फसलें बेहतर उपज देती हैं और कीट एवं रोग प्रतिरोधी होती हैं। जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने के लिए भविष्य में इनकी आवश्यकता होगी।
- **जैव-प्रौद्योगिकी में उन्नति** - जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निवेश और विकास GM फसलों पर ही केन्द्रित है।
- **स्वदेशी जीएम** - मोंसैंटो के बीटी कपास के विपरीत GM सरसों सार्वजनिक क्षेत्र में दिल्ली विश्वविद्यालय-आधारित **सेंटर फॉर जेनेटिक मैनीपुलेशन ऑफ़ क्रॉप प्लांट्स** के द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है।
- **जीएम तेल का आयात** - भारत हज़ारों टन खाद्य तेल का (तथा अन्य जीएम खाद्य पदार्थों का) आयात करता है जिसके संबंध में अभी तक आनुवंशिक बदलावों के कारण किसी भी प्रकार के स्वास्थ्य सम्बन्धी दुष्प्रभाव या मृत्यु के मामले सामने नहीं आये हैं।

GM सरसों के खिलाफ तर्क

- **'सरसों सत्याग्रह'**, जोकि किसानों, उपभोक्ताओं, वैज्ञानिकों और अन्य लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले सैंकड़ों संगठनों का एक व्यापक प्लेटफार्म है, तथा अन्य ऐसे संगठनों ने इस सम्बन्ध में निम्नलिखित चिंताएं व्यक्त की हैं:
- **शामिल जोखिम** - GEAC ने नागरिकों के स्वास्थ्य और पर्यावरण के संबंध में अवैज्ञानिक रवैया प्रदर्शित किया है तथा GMOs के जोखिम/खतरों से नागरिकों की रक्षा के अपने अधिदेश को पूरा करने में असफल रहा है। इस सम्बन्ध में भी कोई जानकारी नहीं है कि GEAC में कोई कृषि विशेषज्ञ या किसानों का प्रतिनिधि शामिल है या नहीं।
- **खाद्य श्रृंखला पर प्रभाव** - जीएम सरसों का प्रयोग हमारे खेतों और भोजन में रसायनों को बढ़ा देगा।
- **रोजगार में नुकसान** - यहाँ तक कि जीएम सरसों को 25% तक अपनाने से भी सरसों पैदा करने वाले क्षेत्रों में लगभग 4 करोड़ से अधिक रोज़गार दिवसों का नुकसान होगा।

VISION IAS

- **पारदर्शिता की कमी** - विविध क्षेत्रों में अभी भी अस्पष्टता विद्यमान है जैसे कि, मानव स्वास्थ्य, खाद्य श्रृंखला, सहयोगी क्षेत्रों (मधुमक्खी पालक, फलोद्यान एवं आयुर्वेदिक औषधि निर्माता एवं वैद्य) आदि पर पड़ने वाले GM फूड्स के प्रभाव के सम्बन्ध में कोई आंकड़े मौजूद नहीं है ।
- **यह स्वदेशी प्रजाति नहीं** है - यह "स्वदेशी जीएम" नहीं है ,क्योंकि प्रयुक्त जीन बहुराष्ट्रीय कंपनियों की संपत्ति हैं जो उस पर अपना नियंत्रण पाना चाहती हैं।
- **एकाधिकार और उपज हानि** - इससे किसानों को उपज हानि होगी , क्योंकि किसानों को खेती से बचाए गए बीजों के स्थान पर प्रत्येक मौसम में नए बीज खरीदने होंगे जिससे उनकी संप्रभुता, फसल विविधता और लाभदेयता पर दुष्प्रभाव पड़ेगा।

आगे की राह

- कृषि के राज्य सूची का विषय होने के कारण इस मुद्दे पर राज्य सरकारों के साथ परामर्श।
- सभी हितधारकों की शिकायतों का निवारण - GM सरसों को अनुमति प्रदान करने से पूर्व सुरक्षा दस्तावेजों को ऑनलाइन करते हुए तथा प्राप्त सभी टिप्पणियों में व्यक्त चिंताओं को संबोधित करते हुए किसानों और जनता की सभी शिकायतों का निवारण किया जाना चाहिए।
- **कानूनी उपाय** - इसमें एक जवाबदेही उपबंध (liability clause) होना चाहिए अर्थात यदि कुछ गलत होता है तो अमेरिकी कानून के समान जवाबदेही को क़ानूनी रूप से तय किया जाना चाहिए। यदि जीएम तकनीक की फसल, नियमित किस्मों को प्रभावित करती है तो इस सन्दर्भ में जवाबदेही काफी अधिक है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि बीटी कपास पर पिंक बॉलवर्म पेस्ट (pink bollworm) के हमले के मामले में जो गैर-जवाबदेही दिखाई दी वह दूसरी जीएम फसलों के मामले में दोबारा न हो।

3.2. कॉयर उद्योग

(Coir Industry)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में नारियल के खेतों में जल की व्यापक कमी के कारण इन भागों में कॉयर उद्योग की उपज में कमी आई है।

पृष्ठभूमि

- कॉयर और कॉयर उत्पादों के वैश्विक उत्पादन का लगभग 66% हिस्सा भारत का है।
- भारत में केरल कॉयर उद्योग के सन्दर्भ में सबसे बड़ा राज्य है। कॉयर उद्योग का भौगोलिक (geographical location) स्थान कच्चे माल की उपलब्धता (नारियल) पर निर्भर करता है जो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा जैसे राज्यों में उपलब्ध है।

सरकार की पहल

- **कॉयर उद्यमी योजना** - पुनरुद्धार, आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी उन्नयन का नाम बदल कर कॉयर उद्यमी योजना कर दिया गया है।
- यह एक **क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना** है जो 10 लाख तक की परियोजना लागत के कॉयर यूनिट की स्थापना के लिए 40% सरकारी सब्सिडी, 55% बैंक लोन और 5 लाभार्थी अंशदान प्रदान करती है। किसी भी कोलेटरल सिक्यूरिटी/थर्ड पार्टी गारंटी की आवश्यकता नहीं होती और इसमें आय की कोई ऊपरी सीमा भी नहीं है।
- यह सहायता व्यक्तियों, कंपनियों, स्वयं सहायता समूहों, गैर सरकारी संगठनों, सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट ,1860 के तहत गठित संस्थानों, सहकारी समितियों, संयुक्त देयता समूहों और धर्मार्थ ट्रस्ट्स के तहत पंजीकृत संस्थाओं को उपलब्ध है।

कॉयर उद्योग के आधारभूत तथ्य

- कॉयर नारियल के छिलके से प्राप्त होने वाली रेशेदार सामग्री है।
- यह एक महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग है।
- भारत में कॉयर उद्योग दो अलग-अलग घटकों से मिलकर निर्मित होता है यथा -

✓ **वाइट फाइबर** - यह अपेक्षाकृत अधिक चिकना और महीन किन्तु कमज़ोर होता है। यह कच्चे हरे नारियल से प्राप्त किया जाता है जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से रस्सी निर्माण में किया जाता है। यह रस्सी निर्माण के लिए मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है।

VISION IAS

✓ **ब्राउन फाइबर** - यह पूरी तरह से पके हुए भूरे रंग के नारियल से प्राप्त किया जाता है। यह मजबूत होता है और इस प्रकार ब्रश, मैट आदि वस्तुओं बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ।

- 2015-16 में कॉयर निर्यात से लगभग 1900 करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई थी।
- भारत से मुख्य निर्यात गंतव्य संयुक्त राज्य अमेरिका है।
- इस उद्योग में प्रत्यक्ष तौर पर 7 लाख लोग संलग्न हैं जिनमें से अधिकांशतः ग्रामीण क्षेत्रोंसे हैं। इसमें से महिला श्रमिकों की संख्या लगभग 70% है।

कॉयर विकास योजना -

- इसमें कौशल उन्नयन और उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार शामिल है।
- इसमें **महिला कॉयर योजना** भी शामिल है, जिसके अंतर्गत महिला कॉयर श्रमिकों को प्रशिक्षण दिया जाता है तथा उन्हें सब्सिडाइज्ड कीमतों पर मशीनें व उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं।
- इसके अन्य घटक उत्पादन अवसंरचना का विकास, घरेलू बाज़ार को बढ़ावा देना, निर्यात को बढ़ावा देना इत्यादि हैं।

कॉयर बोर्ड

- यह कॉयर उद्योग अधिनियम 1953 (Coir Industry Act 1953)के तहत विकसित एक **सांविधिक निकाय** है।
- यह पंजीकरण और लाइसेंस के माध्यम से कॉयर के उत्पादन और वितरण को नियंत्रित करता है।
- यह उद्योग के लिए मानकों को भी निर्धारित करता है।
- यह कॉयर उत्पादों के उत्पादन के लिए सरकार का एक सलाहकार निकाय है।
- यह MSME मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।

कॉयर उद्योग का महत्व

- पर्यावरण अनुकूल उत्पादों के बारे में जागरूकता बढ़ने के साथ अंतरराष्ट्रीय और घरेलू बाजार में कॉयर आधारित वस्तुओं की मांग बढ़ रही है।
- ई-कॉमर्स के विकास के परिणामस्वरूप कॉयर से बने मैट और गद्दों की मांग तथा विपणन में वृद्धि हुई है।

चुनौतियां

- जलवायु परिवर्तन और मानसूनी वर्षा की कमी कॉयर उद्योग की पैदावार को प्रभावित कर सकते हैं।
- इंडोनेशिया, वियतनाम और श्रीलंका जैसे देशों से होने वाली प्रतिस्पर्धा भारतीय कॉयर उद्योग के लाभ मार्जिन को प्रभावित कर सकती है।
- कच्चे माल सम्बन्धी समस्याओं में कच्चे माल की खराब गुणवत्ता और उसकी उच्च लागत शामिल हैं।
- श्रम सम्बन्धी समस्याओं में श्रमिक अनुपस्थिति, कम वेतन, निम्न कौशल, कम श्रम उत्पादकता शामिल आदि है।
- अन्य चुनौतियों में वित्तीय ऋण की अनुपलब्धता, तैयार माल आदि के विपणन की समस्याएं आदि शामिल हैं।

3.3. पूसा कृषि ऐप

(Pusa Krishi App)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- इस ऐप का हाल ही में कृषि उन्नति मेले में उद्घाटन किया गया।

कृषि उन्नति मेला

- यह भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, दिल्ली द्वारा किया जाने वाला एक वार्षिक आयोजन है।
- यह कृषि एवं पशुपालन में नई तकनीकों और केंद्रीय सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं एवं कार्यक्रमों के बारे में जानकारी साझा करता है।

ऐप के बारे में

- यह ICAR के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI) द्वारा विकसित की गई है।
- पूसा कृषि एप निम्नलिखित के बारे में जानकारी देता है -

✓ किसानों के लिए उपलब्ध उत्पादों की किस्मों के बारे में

VISION IAS

- ✓ बेहतर फसल देने में सक्षम प्रौद्योगिकी के बारे में
- ✓ उत्पाद और सर्वाधिक उपयुक्त क्षेत्र के बारे में जानकारी
- ✓ पशु खाद्य और जैव उर्वरक के बारे में जानकारी
- एक फीडबैक सेक्शन है जो कृषि वैज्ञानिकों को हितधारकों के साथ एक वास्तविक समय आधारित वार्तालाप करने में सक्षम बनाता है।

कृषि विस्तार से संबंधित संस्थाएं

- **राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन केंद्र** (National Centre for Management of Agricultural Extension: MANAGE) (1987)
- ✓ यह कृषि मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान है।
- ✓ यह हैदराबाद में स्थित है।
- ✓ यह केन्द्रीय और राज्य सरकारों एवं अन्य संगठनों की उनके कृषि विस्तार के प्रभावी प्रबंधन में सहायता करता है।
- **भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद** (Indian Council of Agricultural Research: ICAR)
- ✓ यह कृषि मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है।
- ✓ इसका प्रमुख कृषि मंत्री होता है।
- ✓ यह भारत में कृषि शिक्षा और अनुसंधान में समन्वय स्थापित करता है।

3.4. राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य पालन नीति 2017

(National Policy on Marine Fisheries 2017)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग ने राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य पालन नीति लांच की।

पृष्ठभूमि

- भारत विश्व में मछली का **दूसरा** सबसे बड़ा उत्पादक है, जो वैश्विक मछली उत्पादन में 5.43% योगदान देता है।
- भारत जलीय कृषि के माध्यम से मछली का प्रमुख उत्पादक है और चीन के बाद दुनिया में दूसरे स्थान पर है।
- स्वतंत्रता के पश्चात **मत्स्य उत्पादन वर्ष 1950-51 के 7.5 लाख टन से बढ़कर वर्ष 2014-15 में 100.70 लाख टन हो गया है।**
- समुद्री मत्स्यन विश्व में सबसे तेजी से बढ़ता खाद्य उत्पादक क्षेत्र है जिसमें भोजन आवश्यकताओं को पूरा करने की काफी संभावनाएं हैं, विशेषकर विशाल जनसंख्या की प्रोटीन आवश्यकताओं को पूरा करने की ।
- 2015 में **डीप सी फिशिंग पर बी. मीनाकुमारी की रिपोर्ट** के बाद, सरकार ने 2004 की मौजूदा समुद्री मत्स्य पालन नीति को संशोधित करने का निर्णय लिया था।

मत्स्य पालन की शाखाएं

- **समुद्री मत्स्य पालन** - इसके अंतर्गत मुख्य रूप से समुद्री मछलियाँ और अन्य समुद्री उत्पाद आते हैं।
- ✓ जैसे- ऑयल सारडाइन, मैकेरल, बॉम्बे डक्स, ट्यूना और झींगा, कैटफ़िश, पोलिनोमिड, पोम्फ्रेट्स, केंकड़े, ओएस्टर्स, समुद्री शैवाल
- **अंतर्देशीय मत्स्य पालन** - अंतर्देशीय मत्स्य पालन में **ताजे पानी और खारे पानी के मत्स्य पालन** दोनों शामिल हैं। व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण ताजे पानी के मत्स्य संसाधन कार्प्स, म्यूलेट्स, चानोस और झींगा हैं। कुछ पश्चजल मत्स्य पालन में श्रिम्प शामिल हैं ।

नीति के बारे में

- **नीति का उद्देश्य** संधारणीय उत्पादन के जरिए भारत के EEZ (Exclusive Economic Zone- विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र) के समुद्री जीवित संसाधनों की स्वास्थ्य और पारिस्थितिक अखंडता सुनिश्चित करना है।
- **समग्र रणनीति सात स्तंभों पर आधारित होगी**, अर्थात् संधारणीय विकास, मछुआरों का सामाजिक-आर्थिक उत्थान, अनुषांगिकता (सब्सिडीएरिटी) का सिद्धांत, साझेदारी, अंतर-पीढ़ीगत समता, लैंगिक न्याय और निवारक दृष्टिकोण।
- यह नीति मत्स्य पालन के संरक्षण, विकास और प्रबंधन का जिम्मेदारीपूर्ण निर्वाह करने वाले तौर तरीकों के पालन के लिए FAO (खाद्य एवं कृषि संगठन) की आचार संहिता के अनुरूप होगी।

नीति के कुछ प्रावधान निम्नलिखित हैं-

- निगरानी, नियंत्रण और पर्यवेक्षण (दुर्घटनाओं और अतिक्रमण को रोकने के लिए)

- बेहतर निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए, मछुआरों और उनके मछली पकड़ने के जहाजों के लिए चिप आधारित स्मार्ट पंजीकरण कार्ड जारी किए जाएंगे।
- अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा (IMBL) पार करने से बचने के लिए मछुआरों को प्रशिक्षण और जागरूकता प्रदान की जाएगी।

मत्स्य पालन प्रबंधन पर एकीकृत दृष्टिकोण -

- संसाधनों के संधारणीय उपयोग के लिए **स्थानिक और अस्थायी उपाय** के साथ **प्रजाति-विशिष्ट और क्षेत्र-विशिष्ट** प्रबंधन योजनाएं।
- पारिस्थितिकी और जैविक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों (EBSAs), सुभेद्य समुद्री पारिस्थितिक तंत्र (VME) और इन्डैन्जर्ड प्रजातियों आदि का संरक्षण।
- यह **परंपरागत ज्ञान और वैज्ञानिक व्यवसाय सिद्धांतों का मिश्रण** होगा।
- मछली पकड़ने वाले समुदाय की क्षमताओं में सुधार के लिए सूचना प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग। उदाहरण के लिए- मौसम का अनुमान लगाने के लिए इनका उपयोग करना।
- **मत्स्य पालन के लिए पारंपरिक उपयोग अधिकार** (उन क्षेत्रों में जहां यांत्रिक मत्स्यन निषिद्ध है और छोटे मछुआरों को अनुमति प्राप्त है) जारी रहेंगे।
- सरकार पारंपरिक मछुआरों को कौशल प्रदान करने के लिए भी योजनाएं प्रारंभ करेगी।

व्यावसायिक मत्स्य पालन -

- **मत्स्यिकी डेटा एवं अनुसंधान** - सरकार सभी हितधारकों के साथ एक **राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य पालन डेटा अधिग्रहण योजना** को लागू करेगी।
- **मैरीकल्चर-** सरकार मैरीकल्चर फार्म/पार्क स्थापित करने और क्षेत्र के विकास के लिए बीज की आपूर्ति हेतु हैचरों(hatcheries) की स्थापना के लिए योजनाओं को प्रोत्साहित करेगी। पोस्ट-हार्वेस्ट नुकसान को रोकने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
- **द्वीप मत्स्यन** - भारत के द्वीपों का ट्यूना, स्नैपर, ग्रुपर्स आदि जैसे आकर्षक और वाणिज्यिक मूल्य वाले मत्स्य पालन के लिए दोहन किया जाएगा। क्रिल मत्स्यन को राष्ट्रीय न्यायक्षेत्र से बाहर अवस्थित क्षेत्रों (Areas Beyond National Jurisdiction - ABNJ) में भी बढ़ावा दिया जाएगा।
- **मत्स्य व्यवसाय** - सरकार व्यापार बाजार में विविधता लाने, FSSAI मानकों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के साथ सुसंगत करने, बिचौलियों के प्रभाव को कम करने और मछलियों की ईकोलेबलिंग पर ध्यान देगी।
- समुद्री मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए उद्यमशीलता विकास, निजी निवेश, सार्वजनिक निजी भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- **नाबार्ड** की मदद से सरकार मछुआरों को संस्थागत ऋण प्रदान करेगी।

समुद्री पर्यावरण और मत्स्य पालन -

- मौजूदा समुद्री संरक्षित क्षेत्रों (MPA) की समीक्षा एवं समय-समय पर मूल्यांकन करना।
- यह नीति पारंपरिक मछुआरों के पट्टा अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए विधिक सहायता प्रदान करेगी ताकि उनकी आजीविका संरक्षण उपायों से प्रभावित न हो।

गहन समुद्री मत्स्यन (डीप सी फिशिंग) पर बी मीना कुमारी समिति

- केंद्र से "अनुमति पत्र" प्राप्त करके 15 मीटर या उससे अधिक की लंबाई वाले जहाजों के लिए क्षेत्रीय जल से परे 22 किमी से 370 किमी के बीच EEZ में मछली पकड़ने की अनुमति प्रदान करती है।
- इन जहाजों का भारतीय उद्यमियों द्वारा या 49% विदेशी निवेश के साथ संयुक्त उपक्रमों द्वारा स्वामित्व या अधिग्रहण किया जा सकता है।
- तट के किनारे नियर-शोर (near-shore) और ऑफ शोर (offshore) (अपतटीय) क्षेत्रों के बीच (200 मीटर और 500 मीटर गहराई के बीच के जल में) **बफर ज़ोन** का निर्माण और इस क्षेत्र में मत्स्यन का विनियमन "ताकि तट के निकट क्षेत्रों के साथ-साथ EEZ में गहरे समुद्री क्षेत्रों में संसाधनों वृद्धि की जा सके। "

VISION IAS

महत्व

- निगरानी और पर्यवेक्षण यह सुनिश्चित करेंगे कि भारतीय मत्स्यन बेड़ा **'अवैध, असूचित एवं अनियमित' (Illegal, Unreported and Unregulated: IUU) मत्स्यन** में संलिप्त न हो।
- मत्स्य पालन के महिला प्रधान पोस्ट-हार्वेस्ट क्षेत्रक में **महिला स्वयं सहायता समूहों (SHG)** को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- यदि नीति को अच्छी तरह से लागू किया गया तो यह सतत विकास के लिए महासागरों, सागरों और समुद्री संसाधनों के संरक्षण और सतत उपयोग से संबंधित **सतत विकास लक्ष्य 14 (SDG-14)** को बढ़ावा देगी।
- यह हमारी अर्थव्यवस्था के **प्राथमिक क्षेत्र को बढ़ावा** देने और इसकी विकास दर को बेहतर बनाने में भी मदद करेगी।

चुनौतियां

- नीति अनुमति पत्र योजना को समाप्त करने की सलाह देती है। यह इस प्रकार गहन समुद्री मत्स्यन में निजी निवेश को बढ़ावा देती है (बी. मीनाकुमारी समिति द्वारा अनुशंसित)। इससे छोटे एवं पारंपरिक मछुआरे समुदाय के लिए संकट पैदा हो सकता है।
- राज्यों की कुछ सिफारिशों जैसे कि एक अलग मत्स्य पालन मंत्रालय, राज्यों की प्रादेशिक सीमा का विस्तार आदि को इस नीति में समाहित नहीं किया गया है।

आगे की राह

- हाल ही में सरकार ने सभी मौजूदा योजनाओं को मिलाकर एक अम्ब्रेला योजना **'ब्लू रिवोल्यूशन: इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ फिशरीज'** तैयार की है। यह अम्ब्रेला योजना अंतर्देशीय मत्स्य पालन, जल कृषि (एक्काकल्चर) और समुद्री मत्स्य पालन को कवर करती है जिसमें गहन समुद्री मत्स्यन, मैरी-कल्चर और राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (NFDB) द्वारा संचालित की जाने वाली सभी गतिविधियां शामिल हैं।
- देश में नीली क्रांति को बढ़ावा देने के लिए सरकार को इस नीति को इस योजना के अनुरूप सुसंगत करना चाहिए।

3.5. सम्पदा योजना

(Sampada Scheme)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- सरकार ने 2016-20 की अवधि के लिए **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय** की योजनाओं को एक नई केंद्रीय क्षेत्रक योजना- सम्पदा (SAMPADA: **स्कीम फॉर एग्रो-मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ़ एग्रो-प्रोसेसिंग क्लस्टर्स**) के अंतर्गत पुनर्संरचित करने की मंजूरी दे दी है।

आवश्यकता

- वैश्विक स्तर पर कुल खाद्य उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। भारत में खाद्य उत्पादों के अधिक उत्पादन के बावजूद, उपज की हानि चिंता का प्रमुख विषय है।
- भारत में बड़े पैमाने पर उत्पादन की तुलना में प्रसंस्करण का स्तर 10% से भी कम है।
- एक सुविकसित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग अपव्यय में कमी, मूल्य वृद्धि में सुधार, फसल विविधीकरण को बढ़ावा, किसानों को बेहतर रिटर्न, रोजगार को बढ़ावा और निर्यात आय में बढ़ोतरी में सहायक होगा।

पृष्ठभूमि

- वर्ष 2015-16 के दौरान, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रक का योगदान विनिर्माण और कृषि क्षेत्र में GVA का क्रमशः 9.1 और 8.6 प्रतिशत है।
- भारत में निर्मित और/या उत्पादित खाद्य उत्पादों के संबंध में सरकार ने ई-कॉमर्स सहित व्यापार में 100% FDI (ऑटोमैटिक रूट) की अनुमति दी है।
- सरकार ने विशिष्ट रूप से निर्दिष्ट (designated) फ़ूड पार्कों और एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स को रियायती दर पर सस्ते ऋण देने के लिए नाबार्ड में 2000 करोड़ रुपये की विशेष निधि की स्थापना की है।
- खाद्य और कृषि आधारित प्रसंस्करण इकाइयों और कोल्ड चेन इन्फ्रास्ट्रक्चर को प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग (PSL) के दायरे के अंतर्गत लाया गया है।

VISION IAS

मसौदा राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण नीति 2017(Draft National Food Processing Policy 2017)

- यह संधारणीय पर्यावरणीय के तरीकों को अपनाने पर जोर देती है, जैसे जैव कचरे से ऊर्जा उत्पादन करना।
- यह नीति उत्पादों की गुणवत्ता, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए FSSAI एक्ट, 2006 के अनुपालन का सुझाव देती है और स्व-विनियमन का प्रस्ताव रखती है।

प्रशासनिक समस्याएं -

- प्रत्येक राज्य द्वारा खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित सभी मामलों के प्रबंध के लिए एक स्वतंत्र विभाग की स्थापना की जानी चाहिए।
- राज्यों को समयबद्ध तरीके से सभी आवश्यक मंजूरी प्रदान करने की सुविधा के लिए ई-प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए।

अवसंरचनात्मक विकास -

- यह नीति खाद्य प्रसंस्करण में इकॉनोमी ऑफ स्केल के लाभों का दोहन करने के लिए क्लस्टर दृष्टिकोण के अनुपालन की अनुशंसा करती है।
- राज्यों को सभी कच्चे माल, विशेष रूप से बागवानी उत्पादों, की प्रत्यक्ष खरीद को बढ़ावा देने के लिए eNAM प्लेटफ़ॉर्म में पंजीकरण कराना चाहिए।
- उद्यमों को बड़ी इकाइयों की स्थापना हेतु भूमि की खरीद हेतु प्रोत्साहित करने के लिए भूमि पट्टे पर सीलिंग को बढ़ाया जाना चाहिए या इसे समाप्त कर देना चाहिए।
- मेगा फूड पार्क को प्राथमिकता के आधार पर भूमि का आवंटन किया जाना चाहिए।
- बारकोडिंग, **RFID टैग्स** जैसी प्रौद्योगिकी को अपनाने का समर्थन किया जाना चाहिए।

इसका एक उद्देश्य श्रम कानूनों में सुधार करके, इन्क्यूबेशन सेंटर को बढ़ावा देकर तथा प्रत्येक राज्य में स्किलिंग सेंटर की स्थापना आदि के माध्यम से इस क्षेत्रक में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना भी है।

प्रावधान :

- इस योजना का उद्देश्य कृषि को पूरक बनाना, संसाधनों का आधुनिकीकरण और कृषि उत्पादों के नुकसान को कम करना है।
- यह खाद्य संसाधन मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को शामिल करने के लिए एक अम्ब्रेला स्कीम है।
  - ✓ मेगा फ़ूड पार्क्स, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन एंड वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर, फ़ूड सेफ्टी एंड क्वालिटी अश्योरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी पूर्व की योजनाएं।
  - ✓ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स, क्रिएशन ऑफ़ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेज, क्रिएशन ऑफ़ फ़ूड प्रोसेसिंग एंड प्रिज़र्वेशन कैपसिटीज़ जैसी नई योजनाएं।

महत्त्व

- विभिन्न योजनाओं का कन्वर्जेन्स कार्यक्रमों के बेहतर क्रियान्वयन में सहायता प्रदान करेगा।
- यह योजना उपज के बाद हुए नुकसान को कम करने में भी मदद करेगी।
- डिस्पोजेबल इंकम के बढ़ने से, यह योजना खाद्य तेलों, जूस आदि जैसे प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की मांग को पूरा करने में मदद करेगी।
- अन्य उद्योगों की तुलना में खाद्य उद्योग में कारखाने एवं इसमें कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या सबसे अधिक है। यह योजना रोजगार की संभावनाओं को बढ़ावा देगी।
- प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ संतुलित पोषक तत्वों से युक्त भोजन की उपलब्धता में वृद्धि कर कुपोषण की समस्या का समाधान कर सकते हैं।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की अन्य योजनाएं

- **मेगा फूड पार्क स्कीम**
  - ✓ इसका उद्देश्य क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण (हब एंड स्पोक्स मॉडल पर आधारित) को अपनाकर खाद्य प्रसंस्करण के लिए आधुनिक अवसंरचनात्मक सुविधा प्रदान करना है।
  - ✓ इसके अंतर्गत फ़ार्म के निकट प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर (PPCs) और कलेक्शन सेंटर (CCs) के रूप में प्राइमरी प्रोसेसिंग तथा भंडारण अवसंरचना का निर्माण तथा सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर (CPC) पर सामूहिक सुविधाओं और सड़क, बिजली, पानी आदि जैसी सहायक अवसंरचना का निर्माण सम्मिलित है।
- **इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन एंड वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर**
  - ✓ यह एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है।
  - ✓ इसमें वित्तीय सहायता अनुदान के रूप में दी गई है जिसकी राशि प्रति परियोजना अधिकतम 10 करोड़ रूपये है।

VISION IAS

3.6. मसाला बांड

(Masala Bonds)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और नौवहन(The Union Minister of Road Transport and Highways and Shipping) मंत्री ने लंदन स्टॉक एक्सचेंज में NHAI मसाला बॉन्ड (NHAI - भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) की शुरुआत की।

मसाला बांड क्या हैं?

- मसाला बांड फण्ड की उगाही के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय कंपनियों द्वारा जारी किये जाने वाले रुपया-नामित (rupee-denominated) बांड हैं।
- अब तक इसका केवल लंदन स्टॉक एक्सचेंज में ही कारोबार किया जा रहा है।
- मसाला बांड नाम **विश्व बैंक की निवेश शाखा इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन (IFC)** द्वारा दिया गया है। इसने भारत में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए धन जुटाने हेतु इन बांडों को जारी किया है।
- ये निवेशकों को विनिमय दर में उतार-चढ़ाव से बचाते हैं, जो कि एक्सटर्नल कमर्शियल बोर्रोविंग (ECB) के विपरीत है जिनकी उगाही और चुकाई डॉलर में की जाती है।

3.7. WPI एवं IIP के आधार वर्ष में परिवर्तन

(WPI And IIP Base Year Change)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- **केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (CSO)** और **औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (DIPP)** द्वारा क्रमशः औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (Index of Industrial Production- IIP) और थोक मूल्य सूचकांक (Wholesale Price Index - WPI) के लिए **आधार वर्ष 2004-05 से परिवर्तित कर वर्ष 2011-12 कर दिया गया है।**
- WPI की नई श्रृंखला पर आधारित मुद्रास्फीति की दर मार्च में 5.70 फीसदी से घटकर अप्रैल में 3.85 फीसदी रह गई और IIP ने मार्च में 2.7 फीसदी की वृद्धि दर्ज की, जबकि एक महीने पहले यह 1.9 फीसदी थी।

पृष्ठभूमि

- विभिन्न व्यापक आर्थिक संकेतक जैसे- WPI, CPI, IIP, GDP, राष्ट्रीय लेखा आदि अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य का परीक्षण करते हैं।
- WPI का मुख्यतः मुद्रास्फीति को मापने के लिए एक संकेतक के रूप में उपयोग किया जाता है। RBI ने हाल ही में मौद्रिक नीति तैयार करने के लिए मुद्रास्फीति के मापन हेतु CPI का इस्तेमाल करना प्रारंभ किया है।
- WPI का उपयोग कई क्षेत्रों के लिए **अपस्फीतिकारक (डिफ्लेटर)** के रूप में किया जाता है; जैसे- CSO द्वारा GDP आकलन और IIP की गणना।

Changes in composition

	IIP old series (Base year: 2004-05)		New series (Base year: 2011-12)	
	Item groups	Weight (%)	Item groups	Weight (%)
Mining	1	14.16	1	14.37
Manufacturing	397	75.53	405	77.63
Electricity	1	10.31	1	8
Total	**399**	**100**	**407**	**100**
	WPI old series (Base year: 2004-05)		**New series** (Base year: 2011-12)	
Primary articles	102	20.12	117	22.62
Fuel and power	19	14.91	16	13.15
Manufactured items	555	64.97	564	64.23
Total	**676**	**100**	**697**	**100**

- WPI और IIP को **सौमित्र चौधरी समिति** की सिफारिशों के अनुरूप संशोधित किया गया है, जिसने मार्च 2014 में अपनी रिपोर्ट पेश की।
- CSO द्वारा पहली बार एक **तकनीकी समीक्षा समिति (TRC)** का गठन किया गया है जो सूचकांको की समीक्षा और देश के बदलते हुए आर्थिक ढांचे के अनुरूप उचित और उपयुक्त तरीकों की सिफारिश करेगी। TRC की अध्यक्षता DIPP के सचिव द्वारा की जाएगी। इसकी एक वर्ष में एक बार बैठक होगी।

VISION IAS

नया क्या है?

- इसके तहत WPI के आधार वर्ष के अलावा, वस्तुओं के समूह एवं उनके भारांश को भी परिवर्तित किया गया है। देश में बदलती मांग के अनुरूप 199 नई वस्तुएं जोड़ी गई हैं और 146 वस्तुएं हटा दी गई हैं।
- राजकोषीय नीति के प्रभाव को दूर करने के लिए **करों को WPI से बाहर** रखा गया है।
- WPI की गणना समांतर माध्य की बजाय अब गुणोत्तर माध्य से की जाएगी। CPI की गणना गुणोत्तर माध्य द्वारा की जाती है ।
- IIP में 149 वस्तुए जोड़ी और 124 वस्तुएं हटाई गई हैं।

निहितार्थ

- आधार वर्ष में परिवर्तन ने सभी व्यापक आर्थिक संकेतकों का समान आधार निर्मित कर दिया है जिससे इनकी तुलना करना आसान हो गया है। नया आधार वर्ष एक अधिक यथार्थवादी चित्र प्रस्तुत करेगा।
- वस्तुओं एवं उनके भारांश के WPI बास्केट में बदलाव ने इसे **CPI और देश में उपभोग के बदलते प्रतिरूप के निकट ला दिया है।**
- WPI से अप्रत्यक्ष करों को हटाना इसे एक **संगत और उचित अपस्फ़ीतिकारक (डिफ्लेटर)** बनाएगा। यह इसे **PPI (प्रोडूसर प्राइस इंडेक्स /उत्पादक मूल्य सूचकांक) और वैश्विक प्रथाओं** के करीब लाएगा।
- इसी प्रकार GVA की गणना (करों के बिना) की जाती है, इसलिए यह इसे **GVA के संगत** बनाएगा।
- IIP बास्केट में बदलाव इसे **वर्तमान उत्पादन संरचना के करीब** लाएगा।
- TRC की स्थापना समय पर सूचकांकों की समीक्षा करने और बिना देरी के आवश्यक परिवर्तन करने में मदद करेगी।

3.8. स्वैच्छिक बेरोजगारी

(Voluntary Unemployment)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, नीति आयोग के सदस्य बिबेक देबरॉय ने पूरे देश में **स्वैच्छिक बेरोजगारी में एक नाटकीय वृद्धि** का संकेत दिया है।

एक्टिविटी स्टेटस (Activity Status)

- एक्टिविटी स्टेटस व्यक्ति के एक्टिविटी से संबंधित ऐसी स्थितियों को संदर्भित करता है जिसमें व्यक्ति किसी संदर्भ अवधि के दौरान आर्थिक या गैर-आर्थिक गतिविधियों में संलग्न पाया जाता है।

स्वैच्छिक रोजगार

- **NSSO निम्नलिखित तीन व्यापक एक्टिविटी स्टेटस को परिभाषित करता है -**

✓ कार्यरत / नियोजित (एक आर्थिक गतिविधि में संलग्न)

✓ कार्य की तलाश या कार्य के लिए उपलब्ध अर्थात 'बेरोजगार'

✓ न तो कार्य की तलाश करना न कार्य के लिए उपलब्ध होना।

श्रम बल / कार्य बल वस्तुतः एक देश या क्षेत्र में रोजगार में लगे लोगों या रोजगार की तलाश में जुटे लोगों की कुल संख्या को प्रदर्शित करता है।

- **एक व्यक्ति को स्वैच्छिक बेरोजगार के रूप में वर्गीकृत** किया जाएगा यदि वह कार्यरत नहीं है और न ही कार्यबल में शामिल होने के लिए तैयार है। अधिकांशतः इसका कारण यह होता है कि **शिक्षा के क्षेत्र में 'निवेश' के बाद लोग एक निश्चित आय स्तर से नीचे काम करना पसंद नही करते हैं।**

आगे की राह

- यह एक खतरनाक स्थिति है क्योंकि अगर स्वैच्छिक बेरोजगारी उच्च स्तर तक बढ़ जाती है तो भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश व्यर्थ होगा। इसका स्तर बढ़ रहा है क्योंकि उच्च कुशल नौकरियों में वृद्धि ऐसी नौकरी चाहने वालों की संख्या की तुलना में कम है।
- अधिकतर स्वैच्छिक बेरोजगारी इसलिए है क्योंकि काम की अपर्याप्त प्रकृति या अपर्याप्त वेतन के कारण रोजगार की अनुपलब्धता है। इसलिए, सरकार को इन स्वैच्छिक बेरोजगारों के उपयोग के लिए नौकरियों में विविधता लाने हेतु कार्य करना चाहिए।

VISION IAS

3.9. प्रौद्योगिकी एवं नवाचार सहायता केन्द्रों की स्थापना

(Technology and Innovation Support Centres to Come Up)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- **औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (DIPP) और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) ने प्रौद्योगिकी एवं नवाचार सहायता केंद्र (TISC)** स्थापित करने के लिए साथ आने का निर्णय लिया है।

यह क्या है?

- TISC कार्यक्रम विकासशील देशों में अन्वेषकों (innovators) को स्थानीय उच्च गुणवत्ता वाली तकनीकी जानकारी और संबंधित सेवाओं तक पहुंच बनाने में मदद करता है, जिससे उनकी नवाचारी क्षमता का फायदा उठाने और उनकी बौद्धिक संपदा (IP) अधिकारों के सृजन, सुरक्षा और प्रबंधन करने में मदद मिलती है।
- वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन **बौद्धिक संपदा अधिकार प्रोत्साहन एवं प्रबंधन प्रकोष्ठ (Cell for IPR Promotion and Management: CIPAM)** को TISC नेटवर्क के लिए राष्ट्रीय फोकल बिंदु के रूप में नामित किया गया है।
- यह संभावित मेजबान संस्थानों की पहचान करेगा, उनकी क्षमताओं का आकलन करेगा और TISC परियोजना में शामिल होने में उनकी सहायता करेगा।

WIPO

- WIPO **बौद्धिक संपदा सेवाओं, नीति, सूचना और सहयोग के लिए एक वैश्विक मंच** है।
- यह **संयुक्त राष्ट्र** की एक स्व-वित्तपोषित एजेंसी है। इसके **189 सदस्य** देश हैं।
- इसे **1967 में स्थापित** किया गया और इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है।

CIPAM

- CIPAM **DIPP (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)** के तहत बनाया गया एक पेशेवर निकाय है।
- इसे **राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति 2016** के कार्यान्वयन का कार्य सौंपा गया है।
- इसका उद्देश्य **IPR (बौद्धिक संपदा अधिकार)** के बारे में जागरुकता फैलाना, **सहजता से IPR दाखिल करने को प्रोत्साहित करना, अन्वेषकों को IP परिसंपत्तियों के व्यवसायीकरण के लिए एक मंच प्रदान करना है।**

3.10. स्वदेशी नाभिकीय उर्जा

(Indigenous nuclear power)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- कैबिनेट ने हाल ही में न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NPCIL) द्वारा बनाए जाने वाले 10 स्वदेशी प्रेसराईज्ड हेवी वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर (PHWR) के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, इसमें से प्रत्येक की क्षमता 700 मेगावाट है। इससे यह देश की वर्तमान स्थापित परमाणु क्षमता 6,780 मेगावाट के दोगुने से अधिक हो जाएगी।

NPCIL के बारे में:

- यह **परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE)** के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यम है।
- यह कंपनी अधिनियम के तहत एक **पब्लिक लिमिटेड कंपनी** के रूप में पंजीकृत है।
- इसका मुख्य उद्देश्य परमाणु बिजली परियोजनाओं को कार्यान्वित करना और बिजली उत्पादन के लिए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का संचालन करना है।
- DAE के एक अन्य PSU भाविनी में इसकी इक्विटी भागीदारी है, जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स प्रोग्राम को क्रियान्वित करता है।

VISION IAS

Plant	Unit	Type	Capacity (MWe)
Tarapur Atomic Power Station (TAPS), Maharashtra	1	BWR	160
Tarapur Atomic Power Station (TAPS), Maharashtra	2	BWR	160
Tarapur Atomic Power Station (TAPS), Maharashtra	3	PHWR	540
Tarapur Atomic Power Station (TAPS), Maharashtra	4	PHWR	540
Rajasthan Atomic Power Station (RAPS), Rajasthan	1	PHWR	100
Rajasthan Atomic Power Station (RAPS), Rajasthan	2	PHWR	200
Rajasthan Atomic Power Station (RAPS), Rajasthan	3	PHWR	220
Rajasthan Atomic Power Station (RAPS), Rajasthan	4	PHWR	220
Rajasthan Atomic Power Station (RAPS), Rajasthan	5	PHWR	220
Rajasthan Atomic Power Station (RAPS), Rajasthan	6	PHWR	220
Madras Atomic Power Station (MAPS), Tamilnadu	1	PHWR	220
Madras Atomic Power Station (MAPS), Tamilnadu	2	PHWR	220
Kaiga Generating Station (KGS), Karnataka	1	PHWR	220
Kaiga Generating Station (KGS), Karnataka	2	PHWR	220
Kaiga Generating Station (KGS), Karnataka	3	PHWR	220
Kaiga Generating Station (KGS), Karnataka	4	PHWR	220
Kudankulam Nuclear Power Station (KKNPS), Tamilnadu	1	VVER-1000 (PWR)	1000
Kudankulam Nuclear Power Station (KKNPS), Tamilnadu	2	VVER-1000 (PWR)	1000
Narora Atomic Power Station (NAPS), Uttarpradesh	1	PHWR	220
Narora Atomic Power Station (NAPS), Uttarpradesh	2	PHWR	220
Kakrapar Atomic Power Station (KAPS), Gujarat	1	PHWR	220
Kakrapar Atomic Power Station (KAPS), Gujarat	2	PHWR	220

Total Nuclear Power Plant Capacity : 6780 MWe

केबिनेट के इस निर्णय का महत्व:

- **परमाणु क्षमता को दोगुना करना -** इस संयंत्र से देश की परमाणु उर्जा क्षमता, वर्तमान में स्थापित परमाणु क्षमता से दोगुने से भी अधिक हो जाएगा।
- **घरेलू परमाणु क्षमता निर्माण -** इस कदम से स्वदेशी तकनीकी क्षमताओं का निर्माण करने में भारतीय वैज्ञानिकों की योग्यता के प्रति दृढ़ विश्वास बढ़ा है, जो भविष्य में वैश्विक परमाणु आपूर्ति और विनिर्माण श्रृंखला में भारत को अग्रणी भूमिका निभाने में मदद करेगा।
- **रोज़गार में वृद्धि -** इस प्लांट से घरेलू विनिर्माताओं (विशेषकर उपकरण विनिर्माण उद्योग में) के लिए 70,000 करोड़ रुपये का व्यवसाय और लगभग 33,400 रोजगार उत्पन्न होगा।
- **निर्भरता कम करना -** भारत को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (collaborations) में परेशानी का सामना करना पर रहा है, जैसे- अमेरिकी कंपनी वेस्टिंगहाउस द्वारा दिवालियापन के लिए आवेदन करना और फ्रांसीसी कंपनी अरेवा के साथ लागत संबंधी समस्याएं आदि।
- **INDC प्रतिबद्धताएं -** इससे न केवल देश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित होगी बल्कि पेरिस समझौते के तहत कार्बन मुक्त स्रोतों से युक्त भारत की स्वच्छ ऊर्जा प्रतिबद्धताओं को भी पूरा किया जा सकता है।

सम्बंधित चिन्ताएं:

- **सुरक्षा संबंधी चिंताएं -** प्रस्तावित रिएक्टरों के डिजाइन, निर्माण और संचालन में सरकार को सख्त सुरक्षा मानकों का पालन करना चाहिए।
- **विनियामक मुद्दे -** एक स्वतंत्र निकाय को सार्वजनिक क्षेत्र के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को विनियमित करना चाहिए ताकि परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड, जो एक सरकारी निकाय है, द्वारा विनियमित किए जाने से हितों के टकराव की समस्या से बचा जा सके।
- **समय और लागत में वृद्धि -** अब तक स्थापित परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में यह एक परम्परा के रूप में देखा गया है। इसे परिवर्तित कर एक निश्चित समय सीमा के भीतर नए संयंत्रों के संचालन को सुनिश्चित करना होगा।
- **परमाणु ऊर्जा के प्रति अंतर्राष्ट्रीय विमुखता -** जबकि विश्व परमाणु ऊर्जा के विकल्प को छोड़ रहा है उसी समय भारत परमाणु उर्जा की ओर अग्रसर है।

भारत की परमाणु क्षमता की वर्तमान स्थिति:

- NPCIL वर्तमान में 22 वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों का संचालन कर रहा है।
- भारत में परमाणु उर्जा की स्थापित क्षमता 6780 मेगावाट है, जो कि भारत में कुल स्थापित उर्जा क्षमता का 2.1% है।
- इस रिएक्टर बेड़े में तीन प्रकार के रिएक्टर शामिल हैं

✓ PHWR

✓ BWR (बॉईलिंग वाटर रिएक्टर)

✓ VVER (प्रेसराइज्ड वाटर रिएक्टर)

- आज भारत का फ्रांस, रूस, UK,अमेरिका और जापान सहित कई देशों के साथ असैनिक परमाणु सहयोग समझौता है।

विभिन्न प्रकार के रिएक्टरों की तुलना

विभिन्न प्रकार के रिएक्टरों की तुलना निम्नलिखित तालिका में की गई है:

	BWR	PWR	PHWR	FBR
उद्देश्य	इलेक्ट्रिसिटी	इलेक्ट्रिसिटी, न्यूक्लियर पावर्ड शिप	इलेक्ट्रिसिटी, प्लुटोनियम का उत्पादन	इलेक्ट्रिसिटी, प्लुटोनियम का उत्पादन
कुलेंट	जल	जल	भारी जल (D2O)	पिघला, द्रव सोडियम
मोडरेटर	जल	जल	भारी जल (D2O)	आवश्यकता नहीं
फ्यूल	युरेनियम डाइ आक्साइड	युरेनियम डाइ आक्साइड (UO2)	UO2 या मेटल	प्लुटोनियम डाइ आक्साइड ओर UO2 अलग कम्बीनेशन के साथ
इनरीचमेंट लेवल	लो-इनरिच्ड	लो-इनरिच्ड	नॉट-इनरिच्ड	P-239और U-235 के विभिन्न प्रकार

भारत ने क्यों PHWR को चुना?

- ईंधन की उपलब्धता - भारत को IAEA के सुरक्षा उपायों के अंतर्गत सबसे ज्यादा PHWR को ही रखने का अनुमति प्राप्त है।
- महंगी संवर्धन सुविधा स्थापित करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह ईंधन के रूप में प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग करता है।
- स्वदेशी तकनीक, विशेषज्ञता और संसाधनों की उपलब्धता।
- लाइट वॉटर रिएक्टर की तुलना में अधिक ऊर्जा कुशलता।

3.11. फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम

(Phased manufacturing programme: PMP)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सरकार ने हाल ही में सेलुलर मोबाइल हैंडसेट के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम: PMP) को अधिसूचित किया है।

प्रावधान:

- यह **इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeiTY)** के तहत एक कार्य योजना है।
- इस योजना का उद्देश्य प्रशुल्क आरोपित करना (विभेदक शुल्क व्यवस्था) है और सेलुलर हैंडसेट के विनिर्माण में शामिल चुने हुए उत्पादों को कर राहत और प्रोत्साहन प्रदान करना है।
- इसे एक चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम कहा जा रहा है क्योंकि इसके तहत विभिन्न वित्तीय वर्षों में सेलुलर हैंडसेट के विभिन्न घटकों के घरेलू विनिर्माण के प्रोत्साहन हेतु वित्तीय लाभ प्रदान किया जाएगा।

3.12. थिंक 20 टास्क फोर्स

(Think 20 Task Force)

सुर्ख़ियों में क्यों?

जर्मनी ने हाल ही में पहली बार **G-20 "डिजिटल मंत्रियों"** की बैठक बुलाई थी, जिसके परिणामस्वरूप T20 टास्क फोर्स **(थिंक 20 टास्क फोर्स)** की स्थापना की गई।

T20 टास्क फोर्स के बारे में:

- इसमें थिंक टैंक और अकादमिक **(जैसे- ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ऑफ इंडिया)** सम्मिलित हैं, जो डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और पारंपरिक क्षेत्रों के "डिजिटलकरण" को प्रबंधित करने के लिए सिफारिशें प्रस्तुत करेंगे।
- यह व्यवसायों, सरकारों और उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट के माध्यम से लेनदेन करने हेतु आर्थिक संचालन (operation) के नियमों को स्पष्ट करने में मदद करेगा।
- यह अन्य क्षेत्रों पर भी ध्यान केंद्रित करेगा-

✓ **वहनीय और समावेशी साइबर सुरक्षा।**

✓ **स्वचालन (automation) और इसके प्रभाव जैसेकि रोजगार की हानि को संतुलित करना।**

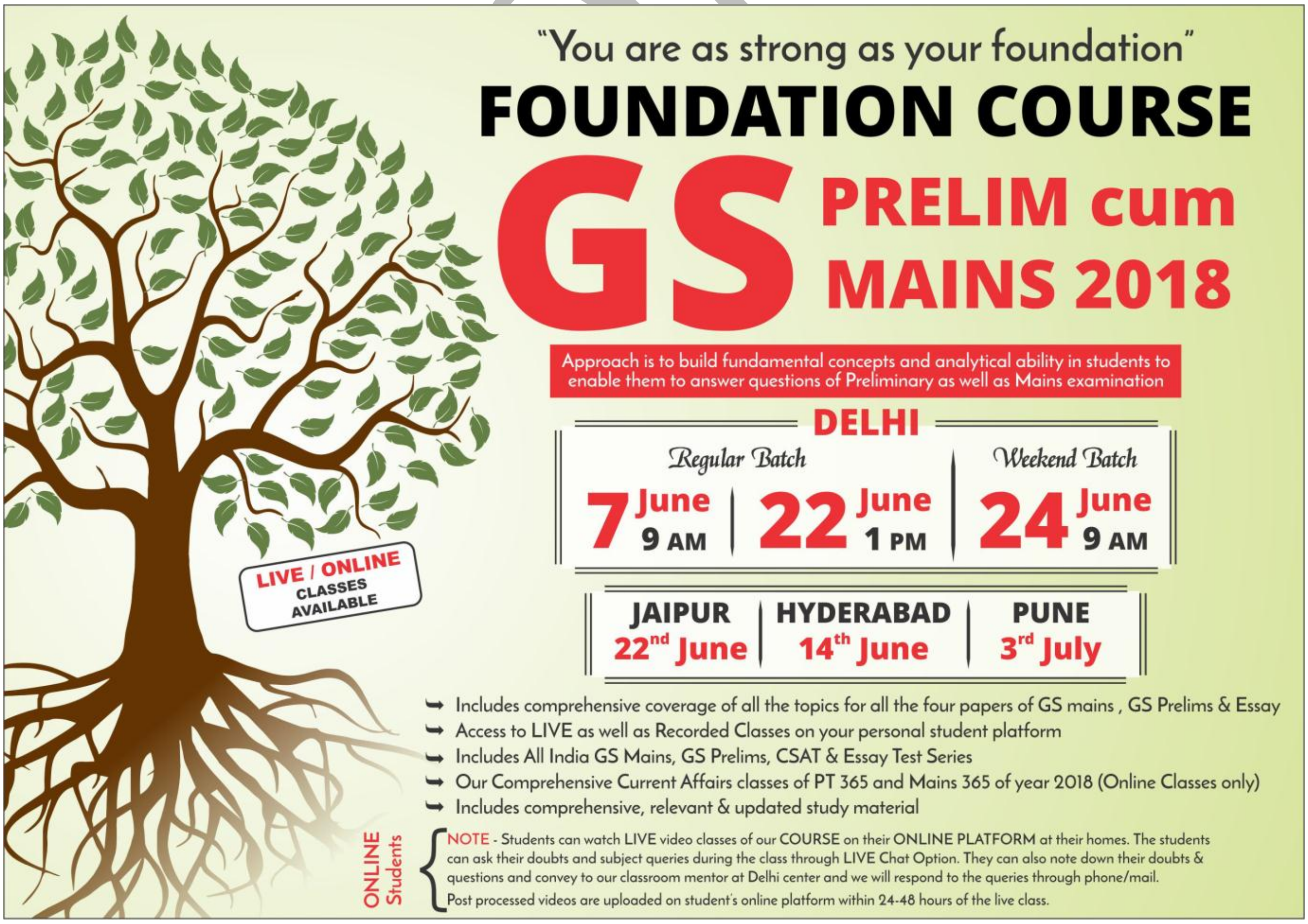

4. सुरक्षा

(SECURITY)

4.1. इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड

(Integrated Theatre Command)

सुर्ख़ियों में क्यों:

- रक्षा मंत्रालय द्वारा नियुक्त **लेफ्टिनेंट जनरल डी बी शेकाटकर** (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता वाली एक समिति ने अपनी रिपोर्ट रक्षा मंत्रालय को सौंप दी है।

अनुशंसाएँ:

इस समिति ने 3 इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का गठन करने की अनुशंसा की है :

- चीन सीमा के लिए नॉर्थ कमांड (उत्तरी कमान),
- पाकिस्तान सीमा के लिए वेस्टर्न कमांड (पश्चिमी कमान) और
- समुद्री सीमाओं के लिए साउथ कमांड (दक्षिणी कमान)

नॉर्थ कमांड और वेस्टर्न कमांड के तहत भू-सीमाएं हैं, इसलिए इस क्षेत्र में सेना की विशेषज्ञता को देखते हुए इसका नियंत्रण आर्मी जनरल के पास होना चाहिए। साउथ कमांड पर नेवी एडमिरल (नौ-सेनाध्यक्ष) का नियंत्रण होना चाहिए।

पृष्ठभूमि:

- वर्तमान में, हमारे पास **सर्विस-स्पेसिफिक कमांड्स (service-specific commands)** हैं अर्थात वायु सेना और नौसेना के पास पुरे देश में अपने स्वयं के कमांड हैं।
- **सर्विस कमांड्स के बीच संबद्धता (Jointness)** : यद्यपि तीनो सेवाओं और उनके संबंधित क्षेत्रों में उनकी अपनी स्वतंत्र पहचान में प्रगति हो रही है, परन्तु युद्ध के समय वे एक साथ कार्य करती हैं तथा अपने ऑपरेशन में समन्वय स्थापित करती हैं।
- **युद्ध के दौरान:** सेवा मुख्यालयों (Service Headquarters) के स्तर पर ऑपरेशन्स के समन्वय की अपेक्षा की जाती है। यह समन्वय चीफ ऑफ़ स्टाफ कमेटी (COSC) द्वारा किया जाता है। इस COSC के अध्यक्ष पद पर अभी तक किसी को नियुक्त नहीं किया गया है।

- भारतीय सशस्त्र बलों के पास वर्तमान में 17 कमांड हैं।
- सेना के प्रत्येक अंग के पास 7 कमांड है [उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी, पश्चिमी, मध्य, दक्षिण-पश्चिमी और सेना प्रशिक्षण कमान (Army Training Command: ARTRAC)] है।
- वायु सेना के पास [पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी, दक्षिण-पश्चिमी, मध्य, प्रशिक्षण और रखरखाव (Training and Maintenance)] है।
- नौसेना के पास 3 कमांड हैं [पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी]।
- प्रत्येक कमांड का नेतृत्व 4-स्टार रैंक (4-star rank) के सेना अधिकारी करते हैं।
- इसके अतिरिक्त, **2 ट्राई सर्विस कमांड [सामरिक बल कमान (स्ट्रेटेजिक फोर्सेज कमांड :SFC)] तथा अंडमान एंड निकोबार कमांड (ANC)]** हैं। इनकी अध्यक्षता तीनो सेवाओं के अधिकारियों द्वारा रोटेशन (नियमित आवर्तन) से की जाती हैं।
- ANC एक इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड है।
- दूसरी ट्राई सर्विस कमांड्स, SFC देश की परमाणु परिसंपत्तियों के वितरण और परिचालन संबंधी नियंत्रण (operational control) की देखरेख करती है। चूंकि इसकी कोई विशिष्ट भौगोलिक उत्तरदायित्व और एक निर्दिष्ट भूमिका नहीं है, इसीलिए यह एक इन्टीग्रेटेड फंक्शनल कमांड है, थिएटर कमांड नहीं।

इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड क्या है ?

- इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड से आशय तीनों सेवाओं की एकीकृत कमान से है। ज्योग्राफिकल थिएटर्स (जो सुरक्षा संबंधी चिंता का विषय है) के लिए इंटीग्रेटेड थियेटर कमांड की परिकल्पना की गई है। यह एकीकृत कमान एक ही कमांडर के नियंत्रणाधीन होती है।

VISION IAS

- **कम्पोजिट एंड कोहेसिव (composite and cohesive) :** ऑपरेशनल प्लान्स (operational plans) के क्रियान्वयन के लिए तीनों सेवाओं को एक साथ विभिन्न स्तरों पर एक कमांडर के अधीन एकीकृत किया गया है।
- **दुश्मन के खिलाफ प्रभावकारिता और दक्षता (Efficacy and Efficiency against the enemy) :** इंटीग्रेटेड थियेटर कमांडर किसी एक सेवा के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। कोहेसिव फाइटिंग फ़ोर्स के गठन हेतु कमांडर अपने बलों को प्रशिक्षित एवं सुसज्जित करने तथा अपने आदेश का पालन करवाने हेतु स्वतंत्र रूप से निर्णय ले पाएगा। ऑपरेशन के लिए आवश्यक रसद संसाधनों (logistic resources) को थिएटर कमांडर के नियंत्रण में ही रखा जाएगा ताकि ऑपरेशन के समय उन्हें किसी भी चीज की कमी का सामना न करना पड़े।

पक्ष में तर्क:

- दोहराव को रोकना(Avoids duplication), यह संसाधनों के दुरूपयोग को रोकता है। साथ ही उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करता है।
- सभी सैन्य संसाधन एक कमांडर की निगरानी में रखे जा सकते हैं। इसका परिणाम युद्ध क्षेत्र में बढ़ी हुई दक्षता के रूप में दिखाई देगा। उदाहरण के लिए, यू.एस. और चीन जैसे देशों में इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड हैं। दरअसल, भारत के साथ चीन की सीमा एक ही कमांड के अंतर्गत है।
- COSC युद्ध के दौरान, आम सहमति के सिद्धांत पर कार्य करता है। इससे संयुक्त स्तर पर निर्णय लेने में विलंब हो सकता है तथा इस प्रकार ऑपरेशन का क्रियान्वयन करना कठिन हो सकता है।

विपक्ष में तर्क:

- भारत भौगोलिक दृष्टि से इतना बड़ा नहीं है कि इसे विभिन्न थिएटर्स (युद्ध-क्षेत्रों) में विभाजित किया जा सके। यहाँ एक थिएटर से संसाधनों को आसानी से दूसरे थिएटर में स्थानांतरित किया जा सकता है।
- भारत के पास सैन्य अवसंरचना की कमी है; उदाहरण के लिए, 45 फाइटर स्क्वाड्रॉन्स में से वर्तमान में केवल 34 ही मौजूद हैं। चूंकि देश पहले से ही संसाधनों की कमी से जूझ रहा है अतः इसे और विभक्त करना अव्यवहार्य होगा।
- US की वैश्विक भूमिकायें हैं अतः उसे अपने संसाधनों को एक थियेटर से दूसरे पर ले जाना कठिन है जबकि भारत की परिस्थितियों में दूरी और समय की कोई समस्या नहीं है।
- अपेक्षाकृत निम्न सेवाओं में यह भय है कि इस तरह के परिवर्तन से उनके महत्व और सेवा प्रमुख की शक्ति कम हो जाएगी।

आगे की राह:

- इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड के गठन हेतु शुरुआती कदम के रूप में चीफ ऑफ़ डिफेंस स्टाफ या स्थायी अध्यक्ष, COSC की नियुक्ति की जानी चाहिए।
- अन्य फंक्शनल कमांड जैसे साइबर कमांड, एयरोस्पेस कमांड और स्पेशल ऑपरेशंस कमांड की मांग हो रही है, लेकिन सरकार ने अभी तक किसी को भी स्वीकृति नहीं प्रदान की है।
- इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड के गठन हेतु दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता होगी। इसके लिए चरणबद्ध सुधार की आवश्यकता है।
- तीनों सेवाओं में अधिक से अधिक सम्बद्धता (jointness) की आवश्यकता है। इस संबंध में जल्दबाज़ी में इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का गठन करना उपयुक्त नहीं होगा।

4.2. नक्सल हिंसा हेतु 'समाधान' सिद्धांत

('Samadhan' Doctrine for Naxal Violence)

सुर्ख़ियों में क्यों:

- सुकमा हमले में 25 जवानों की मौत हो गई। पिछले कई वर्षों में यह CRPF पर सबसे बड़ा नक्सली हमला है।

'समाधान' क्या है:

- ऑपरेशन 'समाधान' नक्सली समस्या को हल करने हेतु गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा किया गया प्रयास है।

समाधान का पूरा नाम निम्नलिखित है।

- **S-स्मार्ट लीडरशिप-** राज्यों पर नक्सल विरोधी अभियानों का "उत्तरदायित्व" होगा और राज्य "गुरिल्ला हमलों से निपटने के लिए एक एकीकृत रणनीति" तैयार करेंगे।

VISION IAS

- **A-एग्रेसिव स्ट्रैटेजी-** नक्सल बेल्ट में ऑपरेशन के लिए अतिरिक्त हेलीकॉप्टर सहयोग तथा 400 फोर्टीफाईड पुलिस स्टेशन स्थापित किए जाएंगे।
- **M- मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग-** भारतीय सेना या **ग्रेहाउंड्स** जैसे विशेष बलों द्वारा नक्सलियों का सामना करने के लिए बलों को प्रशिक्षित किया जायेगा।
- **A-एक्शनेबल इंटेलिजेंस** - अंतर्राज्यीय सीमाओं के साथ ऑपरेशन के संचालन हेतु संयुक्त कार्य बल की स्थापना। बेहतर अंतर-राज्य समन्वय और आसूचना साझाकरण।
- **D-डैशबोर्ड** आधारित KPI (की परफोर्मेंस इंडिकेटर) और KRAs (की रिजल्ट एरिया)
- **H-हारनेसिंग टेक्नोलॉजी** - माओइस्ट हॉटबेड एरियाज के लिए UAVs और ड्रोन; GPS ट्रैकिंग, HHTI (हेंड हेल्ड थर्मल इमेज) उपकरण, रडार, सैटेलाइट इमेजरी, हथियारों में ट्रैकर।
- **A-** प्रत्येक थियेटर के लिए **एक्शन प्लान**।
- **N-नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग:** LWE समूह को प्राप्त होने वाले वित्त प्रवाह को प्रभावी ढंग से रोकने हेतु प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लोंड्रिंग एक्ट (PMLA) की समीक्षा की जाएगी।

आगे की राह:

- केंद्रीय गृह मंत्री ने "उद्देश्य की एकता"(Unity of purpose"), "नीति में आक्रामकता" और 'वाम चरमपंथियों को प्राप्त होने वाले धन के स्रोत को समाप्त कर देना' जैसे बिन्दुओं को नक्सल खतरे से निपटने के लिए बुनियादी सूत्र के रूप में माना है।
- वामपंथी उग्रवाद (LWE) का पुनरारंभ (Resumption)- SRE, SIS, IAP/ACA, CIAT स्कूल जैसी विशिष्ट योजनाएं लंबी अवधि में एक स्थायी समाधान है। फास्ट ट्रैकिंग बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, विद्युत वितरण, 3-G कनेक्टिविटी के साथ मोबाइल टॉवर और रोड-रेल कनेक्टिविटी की आवश्यकता है ताकि कानून और व्यवस्था बनाए रखे और विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ सके।

4.3. ब्रह्मोस का अंडमान द्वीपों से परीक्षण किया गया

(Brahmos Tested from Andaman Islands)

सुर्ख़ियों में क्यों:

ब्रह्मोस ब्लॉक III संस्करण की लैंड टू लैंड मिसाइल की फुल रेंज टेस्टिंग अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में की गई। यह परीक्षण मोबाइल ऑटोनॉमस लांचर (MAL) के माध्यम से किया गया।

ब्रह्मोस का महत्व:

- ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल (2.8 से 3.0 मैक गति) है। यह विश्व की तीव्रतम एंटी-शिप क्रूज मिसाइल है।
- परीक्षण में इस मिसाइल ने धरातल पर स्थित लक्ष्य को **"टॉप एटेक कॉन्फ़िगरेशन"** के साथ काफी सूक्ष्मता से सफलतापूर्वक टारगेट किया तथा कॉपीबुक मेनर से सभी उड़ान पैरामीटर्स को पूरा किया।
- मिसाइल की मारक क्षमता 290 किमी से बढ़ाकर 450 किमी कर दी गई है।
- यह एक मल्टी-प्लेटफॉर्म, मल्टी मिशन मिसाइल है। इस मिसाइल को सतह, वायु, समुद्र, उप-समुद्र (sub-sea) से लॉन्च किया जा सकता है तथा यह सतह तथा सी-बेड पर स्थित टारगेट को समाप्त करने में सक्षम है।

> ब्रह्मोस को संयुक्त रूप से DRDO (भारत) और NPOM (रूस) द्वारा विकसित किया गया था। भारत द्वारा 2016 में मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम (MTCR) का सदस्य बनने के बाद, भारत और रूस अब 600 किमी से अधिक मारक क्षमता वाली नई पीढ़ी की ब्रह्मोस मिसाइलों को विकसित करने की योजना बना रहे हैं। इससे पहले की श्रेणी की मारक क्षमता 300 कि.मी. तक ही सीमित थी।

4.4. स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल

(Strategic Partnership Model :SP Model)

सुर्ख़ियों में क्यों:

रक्षा निर्माण के लिए मंत्रिमंडल ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल को मंजूरी दी।

स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल क्या है:

- यह इस विचार पर आधारित है कि सभी खण्डों में निजी क्षेत्र की रक्षा कंपनियों को शामिल कर, उन्हें दीर्घकालिक अनुबंधों के माध्यम से सामरिक भागीदार बनाना।

- यह कंपनी प्रोक्योरमेंट प्रोसेस द्वारा चयनित फोरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर (foreign OEMs) के साथ एक संयुक्त उद्यम आरम्भ करेगी। इस रूप में यह प्रक्रिया महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण द्वारा भारत में विशिष्ट उपकरणों के निर्माण के लिए एक प्लेटफार्म तैयार करेगी।
- चूंकि रक्षा क्षेत्र में दीर्घकालिक निवेश की आवश्यकता होती है, इसीलिए संयुक्त उद्यम के माध्यम से उत्पादन को लाभप्रद बनाने हेतु इन कंपनियों के साथ दीर्घकालिक अनुबंध किये जायेंगे ।

महत्व:

- रक्षा क्षेत्र से संबंधित PSUs तथा निजी उद्योगों को सुदृढ़ किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त चार प्रमुख क्षेत्रों यथा लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, पनडुब्बियां तथा बख़्तरबंद वाहनों एवं मुख्य युद्धक टैंक (armoured vehicles and main battle tanks) के निर्माण में घरेलू विशेषज्ञता प्राप्त होगी।
- प्रतिस्पर्धा बढ़ाने, क्षमता में वृद्धि करने, प्रौद्योगिकी को शीघ्रतापूर्वक अपनाने तथा अपेक्षाकृत अधिक अर्थपूर्ण समावेशन करने की क्षमता प्रदान करना।
- इससे स्तरित (layered) औद्योगिक परिवेश का निर्माण करने, व्यापक कौशल आधार के विकास को सुनिश्चित करने, नवाचार को बढ़ावा देने तथा वैश्विक मूल्य श्रृंखला(value chains) में भागीदारी के साथ-साथ निर्यात को बढ़ावा देने में सहायता प्राप्त होगी ।
- SP मॉडल की अनुपस्थिति के कारण 50,000 करोड़ रुपये की राशि अभी भी फंसी हुई है। विदेशी OEMs ने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया है कि इस मॉडल के बिना, वे भारतीय रक्षा कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम बनाने में असमर्थ हैं। इसके कारण व्यापक स्तर पर रक्षा परियोजनाओं का अभाव बना हुआ है।

आलोचना:

- SP मॉडल नई तकनीक के प्रयोग को अवरुद्ध कर सकता है। साथ ही रक्षा क्षेत्र में नई कंपनियों को प्रवेश करने से रोक सकता है। इससे एकाधिकार को बढ़ावा मिलेगा।
- SP के लिए केवल एक विशेष खंड का चयन करना निजी क्षेत्र के लिए चिंता का मुख्य विषय है।

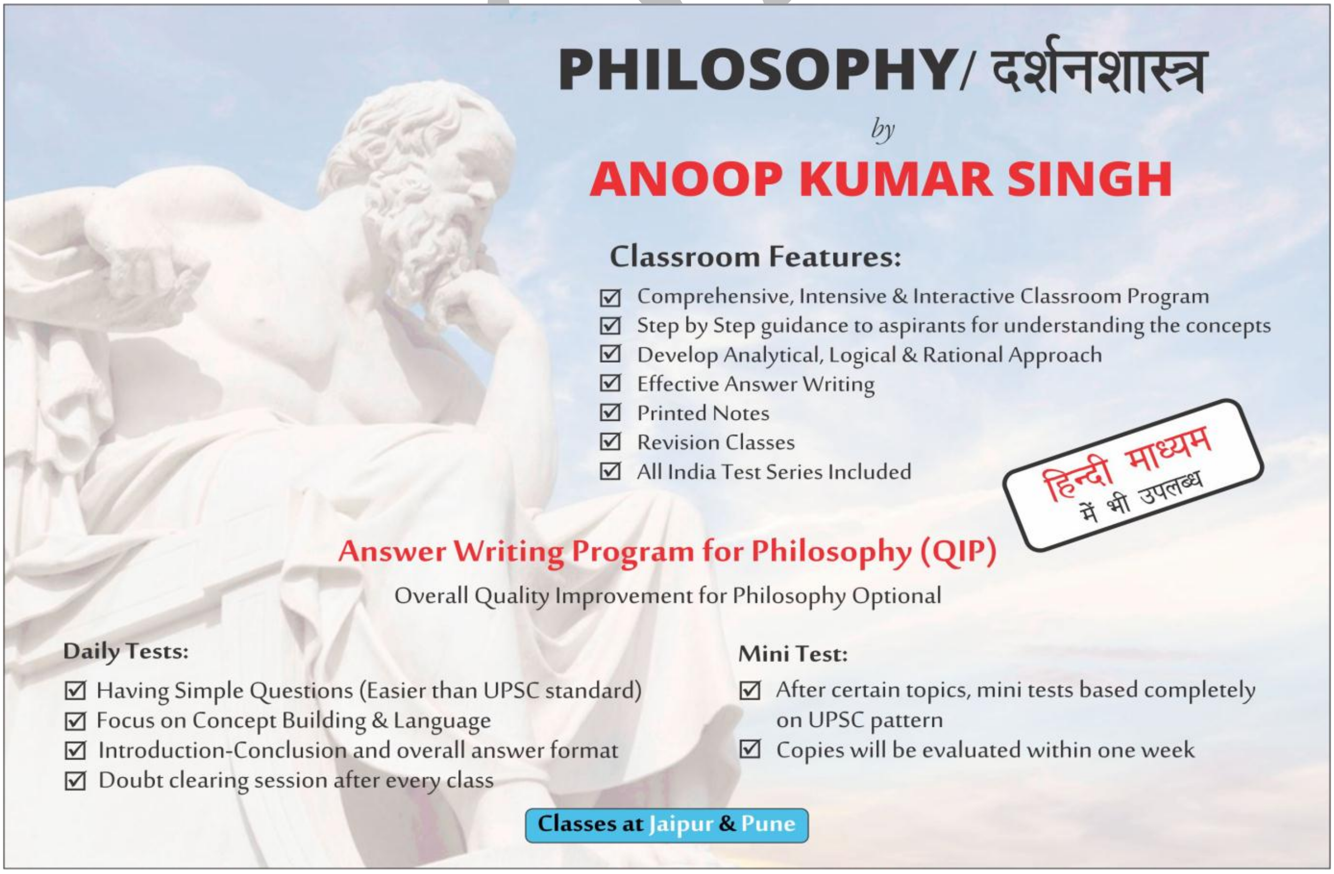

5. पर्यावरण

(ENVIRONMENT)

5.1. बस्टर्ड प्रजनन केंद्र

(Bustard Breeding Center)

सुर्ख़ियों में क्यों?

राजस्थान सरकार ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए एक कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना करेगी।

पृष्ठभूमि

- यह राजस्थान का राजकीय पक्षी है। यह प्रजनन केंद्र देश का प्रथम ऐसा सुविधा केंद्र होगा जिसका उद्देश्य इस पक्षी का संरक्षण करना है।
- सम्पूर्ण विश्व में पाई जाने वाली ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की कुल आबादी का 95% राजस्थान में पाया जाता है।

ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में

- यह लंबे अनावृत पैरों एवं क्षैतिज शरीर वाला एक विशाल पक्षी है। बड़े आकार के कारण यह शुतुरमुर्ग जैसा प्रतीत होता है।
- यह उड़ने वाले सबसे अधिक वजनी पक्षियों में से एक है।
- ये **मध्य भारत, पश्चिमी भारत और पूर्वी पाकिस्तान** में पाए जाते हैं।
- **आवास स्थल:** शुष्क और अर्द्ध शुष्क घास के मैदानों, कांटेदार झाड़ियों वाले खुले क्षेत्रों, फसलों के साथ विस्तृत लम्बी घास वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये सिंचित क्षेत्रों से दूर ही रहते हैं।
- यह पक्षी वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम,1972 की **अनुसूची I** तथा **CMS या बॉन कन्वेंशन** में सूचीबद्ध है।
- यह IUCN की रेड लिस्ट में **क्रिटिकली इन्डेंजर्ड** के रूप में तथा CITES के **परिशिष्ट I** में भी सूचीबद्ध है।
- यह पर्यावरण और वन मंत्रालय के इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ़ वाइल्डलाइफ हैबिटैट्स के तहत रिकवरी प्रोग्राम हेतु चयनित प्रजातियों में से एक के रूप में चिह्नित किया गया है।
- इस प्रजाति के लिए सबसे बड़ा खतरा इनका शिकार (hunting) है। अन्य खतरों में संरक्षित क्षेत्र के बाहर कभी-कभार होने वाला इनका शिकार, आवारा कुत्ते, तीव्र वाहन और हाई टेंशन इलेक्ट्रिक वायर्स से इनका टकराना इत्यादि शामिल है।

इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ़ वाइल्डलाइफ हैबिटैट्स

- यह एक केन्द्र प्रायोजित योजना है। इस योजना के तहत भारत सरकार द्वारा राज्य/ केन्द्रशासित प्रदेशों की सरकारों को वन्य जीव संरक्षण पर केन्द्रित गतिविधियों हेतु वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के निम्नलिखित तीन **घटक हैं:**

✓ **संरक्षित क्षेत्रों को सहयोग प्रदान करना** (राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभयारण्य, कन्सर्वैशन रिज़र्व और कम्युनिटी रिज़र्व)।
✓ **संरक्षित क्षेत्र के बाहर वन्यजीव संरक्षण।**
✓ **क्रिटिकली इन्डेंजर्ड स्पीशीज और आवास स्थलों के संरक्षण** हेतु रिकवरी प्रोग्राम।

कन्वेंशन ऑन द कन्सर्वैशन ऑफ़ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ़ वाइल्ड एनीमल्स (CMS) या बॉन कन्वेंशन

- यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) के तत्वावधान में एक पर्यावरण संधि है।
- CMS प्रवासी जीवों और उनके आवास स्थलों के संरक्षण और संधारणीय उपयोग के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करता है। वे प्रवासी प्रजातियां जो विलुप्त होने की कगार पर हैं इस कन्वेंशन के परिशिष्ट I के तहत सूचीबद्ध हैं।
- CMS उन देशों को जहाँ से होकर प्रवासी जीव गुज़रते हैं एक मंच पर लाता है। इन देशों को रेंज स्टेट्स (Range States) कहा जाता है। साथ ही सम्पूर्ण प्रवासन रेंज (migratory range) में अंतर्राष्ट्रीय रूप से समन्वित संरक्षण उपायों को विधिक आधार प्रदान करता है।
- यह प्रवासी प्रजातियों, उनके आवास-स्थलों तथा प्रवासन मार्गों (migration routes) के संरक्षण में एकमात्र विशेषज्ञता प्राप्त ग्लोबल कन्वेंशन है। भारत इस कन्वेंशन का एक सदस्य है।

VISION IAS

5.2. भारतीय जंगली कुत्ते (ढोल)

(Indian Wild Dogs [Dholes])

सुर्ख़ियों में क्यों ?

इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क (IGZP) में **भारतीय जंगली कुत्तों (ढोल)** के लिए एक कंसर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर का संचालन किया जा रहा है। जिसका उद्देश्य जंगलों में इनके 16 समूह को पुनः बहाल करना है।

ढोलों के बारे में

- ढोल भारत के कई क्षेत्रों जैसे पश्चिमी घाट, मध्य भारत के वन, पूर्वी घाट, पूर्वोत्तर राज्यों और उत्तर भारत के तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं।
- हिमालय क्षेत्र में, ये सिक्किम और लद्दाख में पाए जाते हैं।
- ये वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची II के तहत संरक्षित हैं।
- ये **IUCN में इन्डेंजर्ड** के रूप में सूचीबद्ध हैं।

इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क

- यह पार्क विशाखापट्टनम में स्थित है। यह पार्क आंध्र प्रदेश के सबसे बड़े जूलॉजिकल पार्क्स में से एक है।
- यह पार्क तीन ओर से पूर्वी घाट तथा एक ओर बंगाल की खाड़ी से घिरा है।

5.3. ब्लैक नेक्ड क्रेन

(Black Necked Crane)

सुर्ख़ियों में क्यों?

ब्लैक नेक्ड क्रेन प्रजाति संकटग्रस्त है, विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश में।

ब्लैक नेक्ड क्रेन के बारे में

- यह प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से चीन में पाया जाता है।
- भूटान और भारत में यह विधिक रूप से संरक्षित है। कुछ बौद्ध परम्पराओं में इन्हें पवित्र माना जाता है।
- **इसकी IUCN स्टेट्स - वल्नरेबल।**
- भारत के वन्यजीव अधिनियम में **अनुसूची I प्रजाति के रूप में** सूचीबद्ध।
- यह स्थानीय स्तर पर धुंग धुंग कर्मा के रूप में जाना जाता है।
- इसके अतिरिक्त विश्व भर में पायी जाने वाली सारस की 15 प्रजातियों में केवल यही एक प्रजाति है जो उच्च तुंगता वाले क्षेत्रों में पायी जाती है।
- ये पक्षी अपने घोंसले विस्तृत खुले वातावरण में बनाते हैं, इस कारण से परभक्षियों से और भी अधिक असुरक्षित होते हैं।

5.4. इंडियन स्टार टॉरटोइज

(Indian Star Tortoises)

सुर्ख़ियों में क्यों?

चिन्नार वन्यजीव अभयारण्य (CWS) द्वारा इंडियन स्टार टॉरटोइसेज का सफलतापूर्वक पुनर्वास किया गया है। इस प्रकार CWS देश में स्टार टॉरटोइसेज का एकमात्र पुनर्वास केंद्र बन गया है।

इंडियन स्टार टॉरटोइसेज के बारे में

- यह प्रजाति प्राकृतिक रूप से झाड़ी वाले वनों, घास के मैदानों तथा अर्द्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों के कुछ तटीय झाड़-झंखाड़ वाले क्षेत्रों में निवास करती है।
- ये उत्तर-पश्चिमी भारत (गुजरात, राजस्थान) और दक्षिण-पूर्वी पाकिस्तान से सटे क्षेत्रों; तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पूर्वी कर्नाटक से ओडिशा तक दक्षिणी एवं पूर्वी क्षेत्रों; तथा सम्पूर्ण श्रीलंका में पाए जाते हैं।
- इस प्रजाति के अस्तित्व पर आसन्न खतरों में इनका अवैध संग्रह एवं आवास विखंडन शामिल हैं।
- यह CITES के एपेंडिक्स II (परिशिष्ट II)में शामिल है।
- IUCN में स्थिति: वल्नरेबल।
- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची IV के तहत सूचीबद्ध है।

VISION IAS

चिन्नार वन्यजीव अभयारण्य के बारे में

- चिन्नार वन्यजीव अभयारण्य केरल के इडुक्की में पश्चिमी घाट की पूर्वी ढलान पर स्थित है। यह वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित एक **विशिष्ट संरक्षित क्षेत्र** है।
- यह क्षेत्र पारिस्थितिक तंत्रों के विषय में विविधता से परिपूर्ण है। साथ ही प्रजातीय सांस्कृतिक विरासत में समृद्ध है।
- यह औषधीय गुणों वाले पौधों का प्रसिद्ध संग्रह क्षेत्र (repository) है।
- यह सफ़ेद विशाल गिलहरी, स्टार टॉरटोइस, टफ्टेड ग्रे लंगूर, गौर, स्पॉटेड डियर, स्लेंडर लोरिस, जंगली हाथी, मगरमच्छ, बाघ, तेंदुआ और अनेक पक्षी, कीटों और पौधों का आश्रयस्थल है।

5.5. अमूर फाल्कन

(Amur Falcon)

सुर्ख़ियों में क्यों?

अमूर फाल्कन को हाल ही में नागपुर के निकट स्थित उमरेड करहांडला वन्यजीव अभयारण्य में देखा गया।

अमूर फाल्कन बारे में

- अमूर फाल्कन एक प्रवासी पक्षी है जो प्रति वर्ष मंगोलिया से दक्षिण अफ्रीका तक अपनी उड़ान के दौरान **दोयांग झील (नागालैंड)** में ठहरते हैं।
- नागालैंड का पंगती गांव **विश्व की अमूर फाल्कन राजधानी** के रूप में जाना जाता है।
- केंद्र द्वारा शीघ्र ही विश्व भर के पक्षी प्रेमियों (बर्ड वाचर्स) हेतु दोयांग झील क्षेत्र का एक ईको टूरिज्म स्पॉट के रूप में विकास किया जाएगा।
- अभी कुछ समय पहले तक, नागा आदिवासियों द्वारा मांस के लिए अमूर फाल्कन्स का शिकार किया जाता था।

उमरेड करहांडला वन्यजीव अभयारण्य के बारे में

- यह महाराष्ट्र में नागपुर से 60 किमी की दूरी पर स्थित है।
- उमरेड करहांडला वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा **बोर टाइगर रिजर्व के सेटेलाइट कोर** के रूप में घोषित किया गया है।
- यह महाराष्ट्र का पहला अभयारण्य है जिसे **'सेटेलाइट कोर'** के रूप में घोषित किया गया है। **सेटेलाइट कोर** का तात्पर्य किसी अन्य संरक्षित क्षेत्र को सहायता प्रदान करने वाले उप-संरक्षित क्षेत्र से है।

5.6. शहरी बाढ़

(Urban Flooding)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने 'अर्बन फ्लडिंग- स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर' नामक एक पेपर जारी किया है। इस पेपर में दिए गये दिशा-निर्देशों का विभिन्न सार्वजनिक एजेंसियों और सरकारी विभागों द्वारा अनुपालन किया जाएगा।

शहरी बाढ़ से आशय शहरी क्षेत्रों में आने वाली बाढ़ से है। शहरी बाढ़ आने के कारण निम्नलिखित हैं:

- भारी वर्षा;
- झील जैसे जलाशयों का अभाव;
- जल निकासी प्रणाली का अवसादन (silting);
- जनसंख्या दबाव, शहरीकरण तथा निर्वनीकरण;
- बाढ़ नियंत्रण उपायों का अभाव, आदि।

मानक संचालन प्रक्रिया (स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर: SOP)

- शहरी इलाकों में बाढ़ की घटनाओं में वृद्धि जैसे उत्तराखंड फ्लैश फ्लड, चेन्नई बाढ़ आदि ने ऐसे हालातों से निपटने के लिए एक मानकीकृत योजना की आवश्यकता पर विचार करने हेतु विवश किया है।
- इस प्रकार मंत्रालय द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देशो में विभिन्न विभागों के लिए निम्नलिखित निर्देश शामिल हैं:

ULBs और विकास प्राधिकरण

- निगम कक्ष और नगरपालिका वार्डों में इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स (EOCs) और क्राइसिस-कंट्रोल रूम की स्थापना करना।
- भोजन और जल की आपूर्ति के साथ अस्थायी आश्रयों को सुनियोजित करना।

VISION IAS

- उद्योगों (रासायनिक दुर्घटना), फायर ब्रिगेड, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग जैसे विभागों के साथ राहत योजना का समन्वय करना।
- मीडिया और जनता के साथ सूचनाएं साझा करने के लिए सूचना केंद्र स्थापित करना।
- शहरी विकास प्राधिकरण, डिजास्टर मिटीगेशन प्लान तथा शहर की जल निकासी और स्वच्छता योजना के एकीकरण सहित सिटी मास्टर प्लान तैयार करने होंगे।

स्वास्थ्य विभाग

- महामारी नियंत्रण इकाई (ECU) की स्थापना करना। अस्पतालों से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण करना।
- चिकित्सा, उपकरण और रक्त के इमरजेंसी स्टॉक को बनाए रखना।
- इसे आपदा/पुनर्वास स्थलों पर स्वास्थ्य सुविधा और उपचार केंद्र स्थापित करने होंगे।
- इसे **संकट/महामारी प्रबंधन की रिपोर्ट** तैयार करनी होगी और इसकी समीक्षा करनी होगी तथा EOC के समक्ष एक अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

PWD और सिंचाई विभाग

- PWD को समय-समय पर नालियों की मरम्मत करनी होगी तथा **ड्रेनेज मास्टर प्लान को अपडेट** करना होगा।
- पदानुक्रम के अनुसार सभी सड़कों और पुलों की एक सूची तैयार करना तथा सुरक्षित मार्गों एवं निकास बिंदुओं की पहचान कर एक **आपदा अनुक्रिया मानचित्र (Disaster Response Map)** तैयार करना।
- इमारतों एवं संबंधित बुनियादी ढांचे की मरम्मत करना।

बिजली आपूर्ति और दूरसंचार

- बिजली आपूर्ति विभाग को उच्च जोखिम वाले विद्युत अधिष्ठानों के आस-पास संवेदनशील स्थानों की पहचान करनी होगी और ट्रांसफार्मर्स एवं सबस्टेशन्स के स्तर को बाढ़ के स्तर से ऊपर करना।
- अस्थायी राहत आश्रयों के लिए आपातकालीन विद्युत आपूर्ति लाइनों को मेन्टेन करना।
- दूरसंचार विभाग को असुरक्षित बाढ़ स्थलों में पोर्टेबल कम्युनिकेबल सिस्टम (portable communicable system) की व्यवस्था करनी चाहिए।

पुलिस और अग्निशमन विभाग

- पुलिस द्वारा भीड़ प्रबंधन को सुनिश्चित किया जाना चाहिए तथा इसके पास निकासी एवं अन्य बचाव कार्यों पर विस्तृत रिपोर्ट होनी आवश्यक है।
- अग्निशमन विभाग को बाढ़ वाले इलाकों में राहत हेतु आपात अग्निशमन सुविधाओं और नौकाओं को तैयार करना होगा।

5.7. दक्षिण भारत में सूखा

(Drought in South India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

विशेषज्ञों के अनुसार केरल और तमिलनाडु अभूतपूर्व अर्थात् इस शताब्दी के सर्वाधिक भीषण सूखे का सामना कर रहे है; वहीं कर्नाटक के उत्तरी जिलों में निरंतर तीसरे वर्ष जल का अभाव है।

सूखे का कारण केवल वर्षा की कमी ही नहीं है बल्कि जल संसाधनों का अप्रभावी प्रबंधन भी है। उदाहरण- कम वर्षा वाले क्षेत्रों में बाजरा जैसी कम जल गहन फसलों की कृषि के कारण सूखे जैसी स्थिति नहीं है।

सूखे के कारण

- **वर्षा आधारित कृषि (Rainfed Agriculture)**- पूर्वोत्तर मानसून की असफलता और सिंचाई सुविधाओं का अभाव सूखे का मुख्य कारण है।
- **शहरीकरण** ने झीलों और अन्य क्षेत्रों को कंक्रीट सतहों में परिवर्तित कर दिया है जिससे जल संरक्षण नहीं हो पाता है।
- **अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद:** दक्षिणी राज्य नदी जल को साझा करने की समस्या पर चर्चा हेतु एक साथ बैठक करने और उसके समाधान के लिए तैयार नहीं हैं।
- **जल के सांस्कृतिक संपर्क का लुप्त होना:** ऐतिहासिक रूप से बड़ी संख्या में तालाब एक-दूसरे से जुड़े हुए होते थे जिससे एक तालाब का अतिरिक्त जल बहकर दूसरे तालाब में आ जाता था। इसके अतिरिक्त जल संरक्षण हेतु मनाये जाने वाले त्योहारों का लुप्त हो जाना आदि।
- **दोषपूर्ण फसल प्रतिरूप:** सरकार द्वारा प्रदत्त उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के कारण किसानों द्वारा धान, गन्ना जैसी जल गहन फसलों को प्राथमिकता दी जाती है।

VISION IAS

ड्राट क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान, 2015

इस नियमावली में चार महत्वपूर्ण उपायों का निर्धारण किया गया है। इन उपायों को राज्य सरकार को केंद्र सरकार की सहायता से सूखे के समय लागू करना चाहिए।

- मनरेगा के तहत सूखा प्रभावित लोगों को तत्काल रोजगार मुहैया कराना।
- भोजन और चारा प्रदान करने के लिए सार्वजनिक वितरण तंत्र को मजबूत किया जाना चाहिए।
- चेक डैम के निर्माण और पाइप लाइन जल एवं अन्य सिंचाई सुविधायें प्रदान कर भूजल स्तर को रिचार्ज करने के लिए कार्य आरंभ करना।
- सरकार को या तो किसानों के ऋण माफ़ कर देने चाहिए या स्थगित कर देने चाहिए और फसल नुकसान मुआवजे की व्यवस्था करनी चाहिए।

क्या किया जा सकता है?

- स्थानीय स्तर पर बड़ी संख्या में छोटे जलाशयों को विकसित करने पर फोकस किया जाना चाहिए जो सिंचाई नहरों से जुड़े हो भी सकते है और नहीं भी। उदाहरण- गुजरात में सौराष्ट्र क्षेत्र में बड़ी संख्या में चेक डैम्स का निर्माण किया गया है।
- एग्रोक्लाइमेटिक क्रॉपिंग पैटर्न (Agroclimatic cropping pattern) का अनुसरण किया जाना चाहिए।
- सिंचाई, विशेष रूप से ड्रिप सिंचाई जैसी सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियों में निवेश में वृद्धि की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इसमें सहायक होगी।

5.8. बॉन क्लाइमेट मीट

(Bonn Climate Meet)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- पेरिस समझौते के क्रियान्वयन को आगे बढ़ाने हेतु बॉन, जर्मनी में UNFCCC द्वारा आयोजित बॉन क्लाइमेट चेंज कांफ्रेंस का आरम्भ हुआ।
- बॉन में सभी पक्ष (पार्टीज) इस बात पर सहमत हुए हैं कि पेरिस समझौते के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम पुस्तिका (रुल बुक) तैयार करने पर अपना कार्य जारी रखेंगे। इसकी समय-सीमा सर्वसम्मति से 2018 निर्धारित की गई है।

UNFCCC के बारे में

- 1992 में कई देशों ने यूनाइटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (UNFCCC) में भाग लिया। UNFCCC अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हेतु एक फ्रेमवर्क है। इसका उद्देश्य औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि को कम कर जलवायु परिवर्तन का सामना करना है।

पेरिस समझौता

- दिसंबर 2015 में, पेरिस जलवायु सम्मेलन (COP21) में 195 देशों ने पहली बार सार्वभौमिक एवं कानूनी रूप से बाध्यकारी वैश्विक जलवायु समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- इस समझौते के तहत एक वैश्विक कार्य योजना निर्धारित की गई है जिसका उद्देश्य असुरक्षित जलवायु परिवर्तन से विश्व को सुरक्षित करने के लिए ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे के स्तर पर बनाये रखना है।

6. विज्ञान और प्रौद्योगिकी

(SCIENCE AND TECHNOLOGY)

6.1. कुपोषण से निपटने हेतु फोर्टीफाइड खाद्य पदार्थ:

(Fortified Foods to Tackle Malnutrition)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- बच्चों को पोषक पदार्थों की उपलब्धता को लक्षित करते हुए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपनी मध्यान्ह भोजन योजनाओं के लिए फोर्टीफाइड तेल का प्रयोग प्रारंभ किया है।
- पश्चिम बंगाल तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से फोर्टीफाइड गेहूं के आटे का वितरण कर रहे हैं।

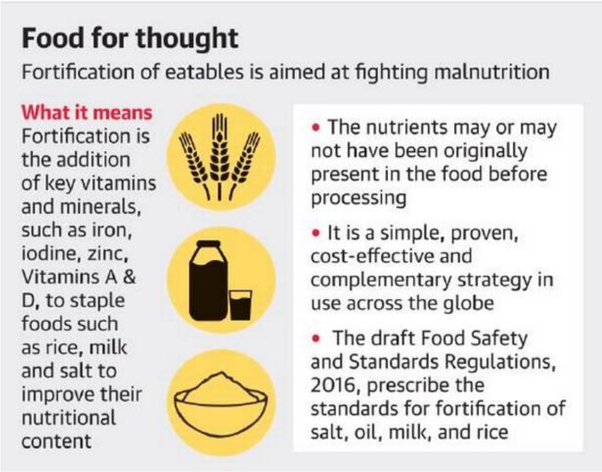

फोर्टीफिकेशन का उद्देश्य:

भोज्य पदार्थों के फोर्टीफिकेशन का लक्ष्य कुपोषण से लड़ना है।

फोर्टीफिकेशन का तात्पर्य:

- फोर्टीफिकेशन के तहत महत्वपूर्ण विटामिन और खनिज तत्वों जैसे आयरन, आयोडीन, जिंक, विटामिन A और D को भोज्य पदार्थों जैसे चावल, दूध एवं नमक में मिलाया जाता है ताकि इनके पोषक तत्वों में वृद्धि हो सके।
- प्रोसेसिंग से पहले पोषक तत्व नहीं भी हो सकते हैं।
- यह एक सामान्य, प्रमाणिक, किफायती और संपूरक रणनीति है जिसे पूरे विश्व में प्रयोग किया जा रहा है।
- फ़ूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स रेगुलेशन्स, 2016 के ड्राफ्ट में चावल, दूध, नमक और तेल के फोर्टीफिकेशन हेतु मानक निर्धारित किए गए हैं।

FSSAI द्वारा उठाए गए कदम:

- भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने पिछले वर्ष मानकों का एक सेट और एक लोगो (logo) जारी किया है।
- तब से, इसका फोकस जागरूकता और आम सहमति-निर्माण पर है।
- FSSAI छोटे स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं, जैसे स्थानीय आटा पीसने वाली मिलों, को प्रीमिक्सड माइक्रोन्यूट्रेंट्स मिलाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु उनके साथ मिलकर भी काम कर रहा है।

6.2. मोबाइल टॉवर रेडिएशन की जानकारी के लिए तरंग संचार पोर्टल

(Tarang Sanchar Portal for Info on Mobile Tower Radiation)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- दूरसंचार विभाग ने तरंग संचार पोर्टल नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया है, जिससे लोग स्थानीय इलाकों में मोबाइल टॉवर से उत्सर्जित विकिरण को ट्रैक कर पाएंगे।
- पोर्टल उपभोक्ताओं को किसी विशेष क्षेत्र में कार्यशील टॉवर के सम्बन्ध में जानकरी प्रदान करेगा और यह भी सुनिश्चित हो पाएगा कि टॉवर सरकार द्वारा परिभाषित इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड (EMF) उत्सर्जन मानदंडों के अनुरूप कार्य रहे हैं या नहीं।

VISION IAS

पृष्ठभूमि:

- संयोग से इस पोर्टल का लॉन्च ठीक उसी समय हुआ है जब हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने 42 वर्षीय एक कैंसर रोगी की याचिका पर ग्वालियर में एक मोबाइल टॉवर को निष्क्रिय करने का आदेश दिया है। आदेश ने मोबाइल फोन टॉवर से निकलने वाले विकिरण के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों पर बहस को तेज कर दिया है।
- सरकार ने कहा है कि भारत में मोबाइल टॉवर उत्सर्जन के नियम वैश्विक मानदंडों की तुलना में दस गुना अधिक कठोर हैं।

6.3. कैंसर के इलाज हेतु नया मॉलिक्यूल - डिसऐरिब

(Novel molecule to treat cancer - Disarib)

सुर्खियों में क्यों?

- भारतीय शोधकर्ताओं द्वारा डिजाइन और संश्लेषित एक नवीन छोटे मॉलिक्यूल (अणु) ने कैंसरयुक्त कोशिकाओं को लक्षित रूप से नष्ट करने में आशाजनक परिणाम प्रदर्शित किया है।

मॉलिक्यूल - डिसऐरिब (Disarib)

- यह मॉलिक्यूल (disarib) स्वयं को BCL2 नामक एक प्रोटीन के साथ संयोजित करके कार्य करता है। BCL2 सामान्य कोशिकाओं को प्रभावित किए बिना कैंसरयुक्त कोशिकाओं की मृत्यु को रोकता है।
- BCL2 प्रोटीन का कैंसरयुक्त कोशिकाओं में अत्यधिक उत्पादन होता है, सामान्य कोशिकाओं में इसकी उपस्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता है। इसलिए, डिसऐरिब केवल कैंसर कोशिकाओं को ही नष्ट करता है।
- FDA द्वारा अनुमोदित BCL2 इन्हिबिटर (inhibitor) ABT199 के विपरीत, डिसऐरिब ने कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने में बेहतर दक्षता प्रदर्शित की है। इसके अलावा, ABT199 इन्हिबिटर की तुलना में, इस छोटे मॉलिक्यूल का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है।

मुद्दा:

- BCL2 का एक्सप्रेशन कुछ कैंसर सेल लाइन्स (cancer cell lines) में कम होता है, जैसे कि स्तन कैंसर, क्रोनिक मायलोजीनस ल्यूकीमिया और सर्विकल कैंसर। अतः इन कैंसर में डिसऐरिब अणु अप्रभावी होगा।

6.4. ड्रग रेजिस्टेंस को रिवर्स करना संभव

(Reversing Drug Resistance Made Possible)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- भारतीय शोधकर्ताओं ने ई.कोलाई (Escherichia coli) में एंटीबायोटिक प्रतिरोध को रिवर्स करने में सफलता प्राप्त की है।
- शोधकर्ताओं ने उस मेकेनिज्म को स्पष्ट किया है जिसके द्वारा बैक्टीरिया द्वारा उत्सर्जित हाइड्रोजन सल्फाइड (H2S) गैस उन्हें एंटीबायोटिक से बचाती है तथा उनमें दवा प्रतिरोधक क्षमता (ड्रग रेजिस्टेंस) विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस की क्रियाविधि:

- एंटीबायोटिक्स, जीवाणु कोशिकाओं के भीतर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज (ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस) के स्तर को बढ़ाकर जीवाणुओं को नष्ट करते हैं। इसीलिए ऐसा कोई भी मेकेनिज्म (यहां H2S गैस) जो एंटीबायोटिक दवाओं द्वारा उत्पन्न रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को डीटोक्सीफ़ाय या काउंटर करता है से एंटीबायोटिक दवाओं की प्रभावकारिता कम होगी।
- ड्रग-रेजिस्टेंस स्ट्रेंस स्वाभाविक रूप से दवा के प्रति संवेदनशील ई.कोलाई की तुलना में अधिक हाइड्रोजन सल्फाइड का उत्पादन कर रहा था। बैक्टीरिया में हाइड्रोजन सल्फाइड की बायोसिंथेसिस को ट्रिगर करने वाले एंजाइम को अवरुद्ध करके शोधकर्ताओं ने ई.कोलाई बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को रिवर्स करने में सफलता प्राप्त की है।

6.5. नासा के न्यू फ़्रंटियर प्रोग्राम को 12 मिशन प्रस्ताव प्राप्त हुए

(NASA's New Frontiers Programme Receives 12 Mission Proposals)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- नासा के न्यू फ्रंटियर्स प्रोग्राम को विभिन्न गंतव्यों के मिशन के लिए 12 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। नासा अपने न्यू फ्रंटियर्स प्रोग्राम के तहत सौर प्रणाली के अन्वेषण हेतु 1 बिलियन डॉलर तक की लागत के रोबोटिक मिशन का आयोजन करता है।

न्यू फ्रंटियर्स प्रोग्राम:

- न्यू फ्रंटियर्स स्ट्रेटेजी का लक्ष्य फ्रीक्वेंट, मध्यम-श्रेणी के स्पेसक्राफ्ट मिशनों द्वारा सौर प्रणाली का अन्वेषण करना है। ये मिशन सौर प्रणाली के विषय में हमारी समझ को विस्तारित करने के लिए उच्च-गुणवत्तायुक्त, वैज्ञानिक छानबीन पर केन्द्रित हैं।
- यह न्यू फ्रंटियर्स पोर्टफोलियो का चौथा मिशन होगा। इसके पूर्ववर्ती मिशन में प्लूटो के लिए न्यू होराइज़न मिशन, बृहस्पति के लिए जूनो मिशन, और OSIRIS-Rex हैं।

VISION IAS

6.6. XFEL (विश्व का सबसे बड़ा एक्स-रे लेजर) ने प्रथम एक्स-रे लेजर लाइट उत्पन्न की

(XFEL (World's Biggest X-Ray Laser) Generates First X-Ray Laser Light)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- विश्व के सबसे बड़े एक्स-रे लेजर, यूरोपियन XFEL ने प्रकाश की पहली बीम उत्पन्न की है।
- एक्स-रे लेजर लाइट एक इलेक्ट्रिक बीम से एक सुपरकंडक्टिंग लीनियर ऐक्सेलरेटर द्वारा उत्पन्न की गई थी। 2.1 किमी. लंबी एक्सेलरेटर टनल में इलेक्ट्रॉन पल्स को अत्यधिक त्वरित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप एक्स-रे लेजर लाइट उत्पन्न हुई।

XFEL के सम्बन्ध में

- यूरोपीय XFEL विश्व के पांच एक्स-रे लेजरों में सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली है, जिसमें हार्ड एक्स-रे लाईट की छोटी पल्सेस को उत्पन्न करने की क्षमता है।
- यह 3.4 किलोमीटर लंबी है और इसमें से अधिकांश अंडरग्राउंड टनल के रूप में जर्मनी में स्थित है।
- एक्स-रे लाईट की तरंगदैर्ध्य 0.8 नैनोमीटर है- जोकि दृश्य प्रकाश की तुलना में लगभग 500 गुना कम है।

संभावित लाभ:

- प्राप्त लेजर लाइट की तरंगदैर्ध्य एक परमाणु के आकार के समान है, इसका अर्थ है कि एक्स-रे का उपयोग एटॉमिक रिज़ॉल्यूशन (जैसे कि बायोमॉलिक्यूल) पर नैनोकोस्मोस (nanocosmos) की तस्वीरें और फिल्म बनाने के लिए किया जा सकता है, जिससे बीमारियों के कारण की बेहतर समझ विकसित हो सकती है या उपचारों के नए तरीकों को विकसित किया जा सकता है।
- यह सुविधा रासायनिक प्रक्रियाओं और उत्प्रेरक तकनीकों में अनुसंधान को सक्षम करेगी। इसका लक्ष्य रासायनिक प्रक्रियाओं और उत्प्रेरक तकनीकों क्षमता में सुधार करना या उन्हें और अधिक पर्यावरण अनुकूल बनाना है। इससे मैटेरियल रिसर्च तथा ग्रहों के आंतरिक क्षेत्रों के समरूप स्थितियों के अनुसंधान में सहायता प्राप्त होगी।

6.7. ऊर्जा के उभरते स्रोत

(Emerging Sources of Energy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल के दशक में पवन और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में प्रगति के साथ अन्य स्रोत जैसे हाइड्रोजन, ओसिएन कोल्ड फ्यूजन (ocean cold fusion) आदि भविष्य के लिए आशाजनक परिणाम प्रदर्शित कर रहे हैं।

पृष्ठभूमि:

- देश के विद्युत उत्पादन में पवन और सौर ऊर्जा योगदान 7% है, जो कि काफी कम है, साथ ही यह निरंतर भी नहीं है।
- दूसरी तरफ कोयला, जो अभी भी विद्युत उत्पादन का प्रमुख स्रोत है, प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग हेतु जिम्मेदार है, साथ ही इसमें जल की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है।

फ्यूल सेल के रूप में हाइड्रोजन

- एक फ्यूल सेल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की विद्युत रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप विद्युत्, जल और ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसमें बैटरी की प्रक्रिया का अनुकरण (mimic) किया जाता है।
- शुद्ध गैस के रूप में हाइड्रोजन के आसानी से उपलब्ध नहीं होने के कारण यह ऊर्जा का अपेक्षाकृत महंगा स्रोत है।

महासागरीय ऊर्जा

- इस 24x7 ऊर्जा स्रोत के तीन उपवर्ग हैं - तरंगें, ज्वार और जल के नीचे की धाराएं।
- ज्वारीय ऊर्जा के दोहन के लिए, उच्च और निम्न ज्वार की ऊंचाई के मध्य कम-से-कम 16 फीट का अंतर आवश्यक है। यह एक बड़ी बाधा है।
- पवन और धाराओं से उत्पन्न लहरें कार्बन न्यूट्रल ऊर्जा प्रणाली में काफी योगदान दे सकती हैं, लेकिन अभी यह अपने विकास के प्रारंभिक चरण में ही है।

कोल्ड फ्यूजन:

- हाइड्रोजन की निकेल और पैलेडियम जैसी विभिन्न धातुओं के साथ अंतःक्रिया के परिणामस्वरुप उत्पन्न होने वाली ऊर्जा के रुप को कोल्ड फ्यूज़न कहते हैं। इस क्रिया में अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है जिसका टरबाइन को घुमाने के इस्तेमाल किया जाता है।
- कोल्ड फ्यूजन में किसी रेडियोधर्मी सामग्री का उपयोग नहीं किया जाता है और न ही इससे कोई रेडियोधर्मी कचरा उत्पन्न होता है।
- कोल्ड फ्यूज़न की प्रमुख चुनौती इस अभिक्रिया को नियंत्रित करना है।
- लेकिन ये बहुत छोटी, अपेक्षाकृत सरल, सस्ती और आत्मनिर्भर (self-contained) ऊर्जा का रूप है।

VISION IAS

7. सामाजिक

(SOCIAL)

7.1 मिशन इंद्रधनुष

(Mission Inderdhanush)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- PMO (प्रधानमंत्री कार्यालय) के द्वारा मिशन इंद्रधनुष की समय सीमा 2018 से बढ़ाकर 2020 तक कर दी गयी है।
- PMO मल्टी-मॉडल प्लेटफार्म, **प्रगति (प्रो-एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन:PRAGATI) प्लेटफार्म** के माध्यम से इस मिशन की समीक्षा करेगा।

प्रगति (प्रो-एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन) क्या है?

- यह एकीकृत संवादमूलक (interactive) प्लेटफॉर्म है। इसका उद्देश्य आम जन की शिकायतों का समाधान करना तथा साथ-साथ भारत सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रम एवं परियोजनाओं की निगरानी और समीक्षा करना है।
- इसमें डिजिटल डेटा मैनेजमेंट, वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग और भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है।
- यह एक तीन स्तरीय प्रणाली है (PMO, भारत सरकार के सचिव और राज्यों के मुख्य सचिव)।

मिशन इंद्रधनुष

- यह **यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम 1985** के तहत किया जाने वाला एक रणनीतिक प्रयास है।
- इसका लक्ष्य दो वर्ष से कम उम्र के उन सभी बच्चों को कवर करना है जो टीकाकरण से वंचित रहए हैं या जिनका टीकाकरण आंशिक रूप से किया गया है। साथ ही कार्यक्रम का लक्ष्य सभी गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण करना है।
- वैक्सीन निरोध्य (preventable) सात रोगों से सुरक्षा करने हेतु टीकाकरण; ये रोग डिप्थीरिया, परट्यूसिस, टिटनस, चाइल्डहुड ट्यूबरकुलोसिस, पोलियो, हेपेटाइटिस बी और खसरा (मीजल्स) हैं।
- इसके अतिरिक्त, चयनित राज्यों में जापानी इन्सेफेलाइटिस, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप B, इनैक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, रोटावायरस वैक्सीन और मीजल्स रूबेला वैक्सीन के लिए भी वैक्सीन उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
- WHO, यूनिसेफ, रोटरी इंटरनेशनल और अन्य दाता भागीदारों द्वारा इस मिशन को तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है।

यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम (UIP) 1985

- UIP के तहत 1 वर्ष तक के सभी बच्चों का नि:शुल्क टीकाकरण किया जाता है
- जीवन को जोखिम में डालने वाले 12 रोगों के विरुद्ध इन बच्चों को सुरक्षित करना; ये 12 रोग निम्नलिखित हैं: ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थीरिया, परट्यूसिस (काली खाँसी), टिटनस, पोलियोमेलाइटिस, खसरा, हैपेटाइटिस बी, डायरिया, जापानी इन्सेफेलाइटिस, रूबेला, रोटावायरस और **निमोनिया** (मई 2017 में जोड़ा गया)।

निमोनिया वैक्सीन

- भारत में निमोनिया के कारण कई बच्चों की मृत्यु हो जाती है, यह संख्या समग्र विश्व में निमोनिया से होने वाली मृत्यु का लगभग 20% है।
- न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन (PCV) 13 प्रकार के न्युमोकोकल बैक्टीरिया से सुरक्षा प्रदान करेगा।

7.2 कुष्टरोग हेतु स्वदेशी वैक्सीन: माइकोबैक्टीरियम इंडिकस प्रानी

(Home Grown Vaccine for Leprosy: Mycobacterium Indicus Pranii)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी ने कुष्ठरोग हेतु एक स्वदेशी टीका माइकोबैक्टीरियम इंडिकस प्रानी (MIP) विकसित किया है।

कुष्ठ रोग क्या है?

- यह रोग माइकोबैक्टीरियम लेप्री बैक्टीरिया के कारण होता है।
- त्वचा और परिधीय तंत्रिकाओं को प्रभावित करता है।
- आम तौर पर 5-7 वर्ष का लम्बा इन्क्यूबेशन पीरियड।
- तंत्रिका के क्षतिग्रस्त होने से पूर्व समय पर निदान और बीमारी का उपचार, विकलांगता को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका है।

VISION IAS

मुख्यबिंदु

- प्रति 10,000 जनसंख्या पर 1 से कम कुष्ट रोगी होने के कारण भारत को 2005 में कुष्ठ मुक्त देश घोषित किया गया है।
- हालांकि, विश्व के कुल कुष्ठ रोगियों के लगभग 60% रोगी भारत में रहते हैं। प्रति 1,00,000 आबादी पर एनुअल (वार्षिक) न्यू केस डिटेक्शन रेट (ANCDR) 9.71 है।
- इस बैक्टीरिया से संक्रमित लोगों के निकट संपर्क में रहने वाले लोगों की सुरक्षा हेतु MIP की व्यवस्था की जाएगी।
- MIP का प्रयोग अब **नेशनल लेप्रसी एलिमिनेशन प्रोग्राम** (**NLEP**) के अंतर्गत भी किया जाएगा। इससे बैक्टीरिया संबंधी रोग के विरुद्ध प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा मिलेगा।

7.3 सामाजिक सुरक्षा के लिए 'वन IP - टू डिस्पेंसरीज' स्कीम और आधार बेस्ड ऑनलाइन क्लेम सबमिशन'

(One IP- Two Dispensaries Scheme and Aadhaar Based Online Claim Submission for Social Security)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री ने दो योजनाएं- **वन IP-टू डिस्पेंसरीज' स्कीम और आधार बेस्ड ऑनलाइन क्लेम सबमिशन** आरम्भ की है।

योजनाओं के मुख्य बिंदु

- **ESIC (Employee's State Insurance Corporation)** की **टू डिस्पेंसरीज स्कीम** में बीमाधारक व्यक्ति (IP-Insured Person) को दो डिस्पेंसरी चुनने का विकल्प दिया गया है। इस योजना के तहत नियोक्ता के माध्यम से एक डिस्पेंसरी स्वयं के लिए तथा दूसरी डिस्पेंसरी परिवार के लिए प्राप्त करने की व्यवस्था की गई है।
- इससे सभी IPs, विशेष रूप से प्रवासी कर्मचारियों को लाभ प्राप्त होगा जो अपने मूल राज्य के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कार्यरत हैं।
- इसके अतिरिक्त, आधार बेस्ड ऑनलाइन क्लेम सबमिशन स्कीम, EPFO के तहत एक आसान PF (प्रोविडेंट फंड) फाइनल सेटलमेंट प्रदान करेगी।

EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) क्या है?	ESIC (कर्मचारी राज्य बीमा निगम) क्या है?
• यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय है। यह सेवानिवृत्ति लाभ योजना क्रियान्वित करता है। यह योजना सभी वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है। • EPF योजना, 20 या अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाली कंपनियों पर लागू होती है। • 50 से कम व्यक्तियों को नियोजित करने वाली सहकारी समितियों पर लागू नहीं होता है। साथ ही साथ उस संगठन पर लागू नहीं होता है जिसके पास स्वयं की EPF योजना है लेकिन इस योजना हेतु सुपरवाइज़र EPFO के द्वारा ही नियुक्त किया जायेगा।	• यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक, स्वायत्त निगम है। इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। • यह कार्य के दौरान लगी चोट के कारण हुई मृत्यु, बीमारी, मातृत्व और विकलांगता संबंधी स्थितियों में संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को चिकित्सा और नकद लाभ प्रदान करता है। • यह मणिपुर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को छोड़कर सभी राज्यों के लिए लागू। • कुछ राज्यों में 10 या अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले गैर-मौसमी कारखानों तथा 20 या अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले संस्थानों के लिए अनिवार्य। • प्रीव्यू थिएटर, सड़क-मोटर परिवहन उपक्रम और अख़बार और प्राइवेट मेडिकल इंस्टिट्यूशन और निजी शैक्षिक संस्थानों सहित दुकानें, होटल, रेस्तरां, सिनेमाघरों को सामाजिक सुरक्षा कवरेज प्रदान करती है।

VISION IAS

7.4 थैलेसीमिया पर राष्ट्रीय नीति की आवश्यकता

(Need for National Policy on Thalassemia)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- वर्ल्ड थैलेसीमिया डे (8 मई) पर विभिन्न शोधकर्ताओं और स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने थैलेसीमिया पर राष्ट्रीय नीति की मांग की।

थैलेसीमिया क्या है?

- यह एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है। बोन मेरो ट्रांसप्लांट (BMT) के अतिरिक्त इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है।
- शरीर में हीमोग्लोबिन का असामान्य उत्पादन इसका लक्षण है। इस असामान्यता के परिणामस्वरूप ऑक्सीजन का अनुपयुक्त रूप से परिवहन होता है तथा लाल रक्त कोशिकाएं नष्ट होने लगती हैं।
- यह लौह अधिभार, हड्डियों की विकृति और गंभीर मामलों में हृदय रोग का कारण हो सकता है।
- दीर्घ जीवन के लिए एक प्रभावी उपाय के रूप में नियमित रूप से रक्त-आधान (blood transfusions) की आवश्यकता होती है।

राष्ट्रीय नीति क्यों आवश्यक है?

- भारत विश्व की थैलेसीमिया राजधानी है क्योंकि यहाँ 40 मिलियन लोग इस रोग से प्रभावित हैं तथा प्रत्येक माह 1,00,000 से अधिक लोग रक्ताधान की प्रक्रिया का सहारा लेते हैं।
- थैलेसीमिया को अब एक स्वास्थ्य समस्या के स्थान पर राइट्स ऑफ़ पर्सन्स विद डिसएबिलिटीज एक्ट, 2016 के तहत विकलांगता के रूप में माना जाता है।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अंतर्गत इस विशिष्ट और आनुवांशिक बीमारी को नजरअंदाज किया गया है। दृष्टव्य है कि इस रोग पर होने वाला सार्वजनिक व्यय सरकारी कोष पर एक बड़ा बोझ है।

7.5 स्वच्छ सर्वेक्षण 2017: इंदौर सर्वाधिक स्वच्छ शहर

(Swachh Survekshan 2017: Indore Cleanest City)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- 4 मई 2017 को, शहरी विकास मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 से प्राप्त परिणामों को जारी किया।

स्वच्छ सर्वेक्षण -2017 का उद्देश्य निम्नलिखित दिशाओं में किये गए प्रयासों के परिणाम प्राप्त करना:

- खुले में शौच की समस्या से मुक्त (ओपन डेफिकेशन फ्री);
- प्रत्येक घर से कचरा एकत्रित करना;
- नगरीय ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रसंस्करण।

क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया

- यह भारत सरकार और एसोचैम (ASSOCHAM), भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) और FICCI द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया था।
- औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन: DIPP), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, QCI के लिए नोडल मंत्रालय है।
- गुणवत्ता से संबंधित मानकों पर उचित और निष्पक्ष जानकारी प्रदान करना।
- अंतर्राष्ट्रीय मंचों में भारत के हितों का प्रतिनिधित्व करना।

मुख्य बिंदु

- क्वालिटी काउंसिल ऑफ़ इंडिया द्वारा भारत के 434 शहरों और कस्बों में **स्वच्छ सर्वेक्षण, 2017** का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य स्वच्छ भारत मिशन की प्रगति का निरीक्षण करना था।
- भारत में इंदौर को सर्वाधिक स्वच्छ शहर घोषित किया गया और भोपाल दूसरे स्थान पर है।
- 50 स्वच्छ शहरों में से सर्वाधिक 12 शहरों के साथ गुजरात शीर्ष स्थान पर है, तत्पश्चात 11 शहरों के साथ मध्य प्रदेश का स्थान है।

VISION IAS

7.6 स्वास्थ्य मंत्रालय का EVIN प्रोजेक्ट

(Health Ministry's EVIN project)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के **इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क (eVIN) प्रोजेक्ट** को विभिन्न विकासशील देशों द्वारा सराहा गया है।

eVIN के बारे में

- eVIN भारत में एक स्वदेशी तकनीक के आधार पर विकसित प्रणाली है। eVIN, वैक्सीन स्टॉक्स का डिजिटलीकरण करता है और स्मार्टफोन एप्लिकेशन के माध्यम से कोल्ड चैन के तापमान की निगरानी करता है।
- यह तकनीकी नवाचार, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा क्रियान्वित किया गया है।
- स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने हे eVIN एक महत्वपूर्ण योगदान है। यह वैक्सीन फ्लो नेटवर्क को सरल बनाता है। साथ ही यह सभी बच्चों के लिए आसान और समय पर वैक्सीन की उपलब्धता प्रदान कर समानता सुनिश्चित करता है।

कुछ उपलब्धियां

- 12 राज्यों के 371 जिलों में कार्यान्वित, डिजिटाइज्ड वैक्सीन इन्वेंट्रीज और लगभग 10,500 वैक्सीन स्टोर्स और कोल्ड चेन पॉइंट्स पर रिकार्ड को सुरक्षित रखना।
- इन वैक्सीन स्टोरेज पॉइंट्स से 98 प्रतिशत से अधिक की नियमित रिपोर्टिंग दर प्राप्त की गई।
- नेशनल मॉनिटर्स के रूप में सभी जिले जहां मिशन इंद्रधनुष चलाया जा रहा है के एक चौथाई से अधिक का निरीक्षण किया गया तथा बेसलाइन (baseline) आधारित जानकारी एकत्र की गई। इस परियोजना के माध्यम से मिशन इन्द्रधनुष की कवरेज दर की निरंतर निगरानी संभव हो पाई।

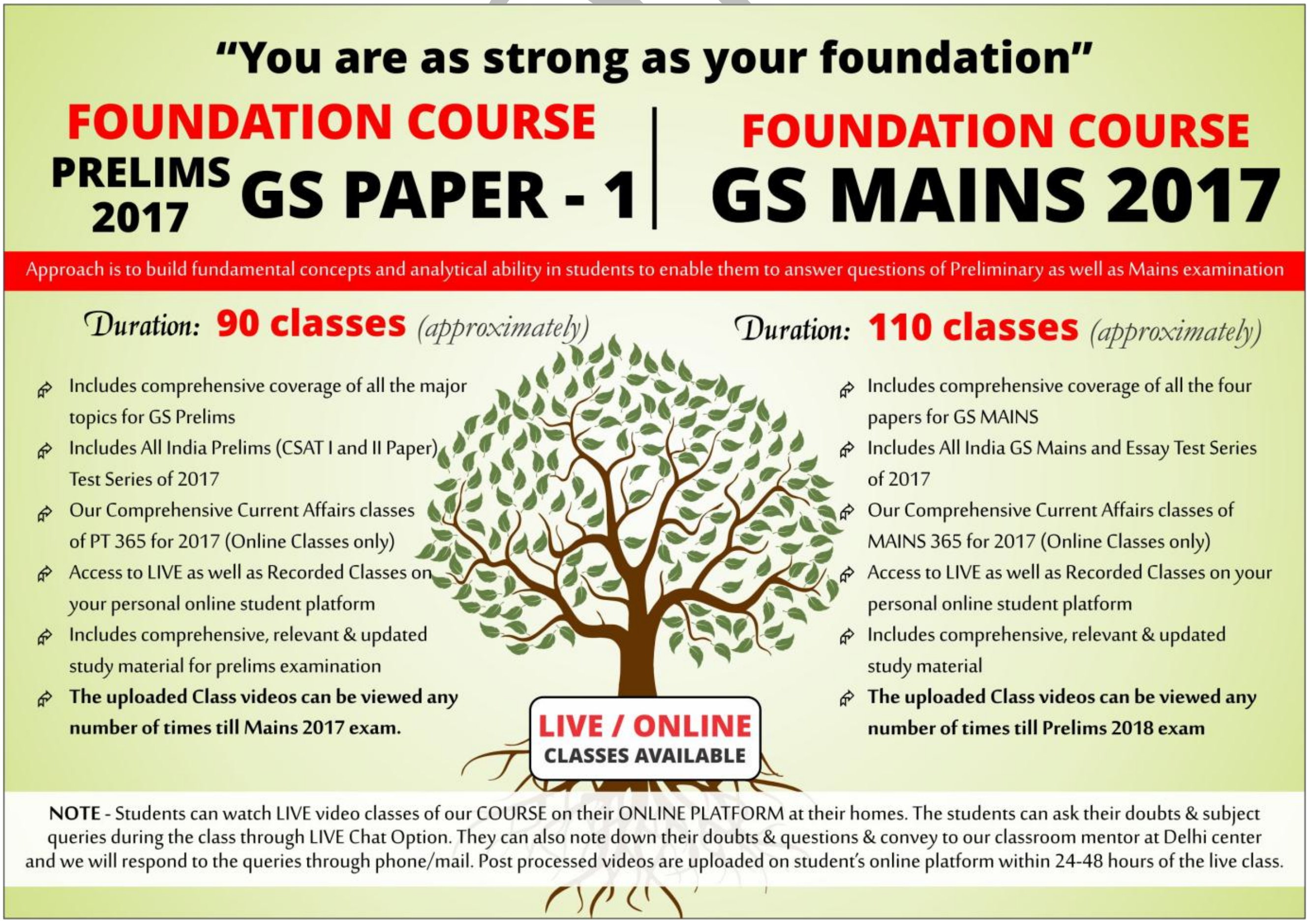

8. संस्कृति

(CULTURE)

8.1. बसव जयंती

(Basava Jayanti)

सुर्खियों में क्यों?

- कर्नाटक में बसवेश्वर (बसव) का 884वां जन्मदिवस बसवन्ना जयंती या बसव जयंती के रूप में मनाया गया। बसवेश्वर 12वीं सदी के सामाजिक सुधारक थे।

बसवेश्वर के बारे में

- बसवेश्वर को **लिंगायतवाद या लिंगायत संप्रदाय या वीरशैववाद** का संस्थापक माना जाता है।
- 12वीं शताब्दी के दौरान इन्होंने कर्नाटक में व्यापक सामाजिक परिवर्तनों को बढ़ावा दिया।
- ये दलितों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध थे। इन्होंने ब्राह्मणवादी वैदिक परंपरा में व्याप्त हो चुकी बुराईयों का प्रबल विरोध किया।
- इन्होंने अपने व्यावहारिक अनुभवों को साहित्य की एक विशिष्ट विधा में प्रस्तुत किया जिसे **'वचन (कविता)'** कहा जाता है। वचन (कविता) आंदोलन का मुख्य उद्देश्य सभी के कल्याण को सुनिश्चित करना था ।
- इन्होंने **'*कल्याण राज्य*' (वेलफेयर स्टेट)** की स्थापना की घोषणा की।
- इन्होंने **"स्थावर"** और **"जंगम"** नामक दो महत्वपूर्ण और अभिनव अवधारणाएं प्रतिपादित कीं। इनका अर्थ क्रमश: "स्थिर" और "गतिशील" है। ये अवधारणाएं बसवन्ना की क्रांतिकारी विचारधारा की मुख्य आधार हैं।

8.2. संत त्यागराज

(Saint Tyagraja)

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में संत त्यागराज की 250वीं जयंती मनाई गई।

संत त्यागराज के बारे में

- संत त्यागराज **'कर्नाटक त्रिमूर्ति'** के प्रमुख संगीतकारों में से एक हैं। इस त्रिमूर्ति में **संत त्यागराज** के साथ ही **मुत्तुस्वामी दीक्षितार** और **श्यामा शास्त्री** भी शामिल हैं।
- इन्हें त्यागब्रह्मम के रूप में भी जाना जाता है।
- संत त्यागराज का जन्म तमिलनाडु के तंजावुर जिले में तिरुवारूर गांव में 14 मई 1767 को हुआ था।
- रामायण के प्रभाव से वह भगवान राम के प्रख्यात भक्त बन गए। इन्होंने अपने जीवन में लगभग 24000 गीतों को भगवान राम को समर्पित किया।
- तिरुवारूर में प्रत्येक वर्ष जनवरी और फरवरी माह के बीच त्यागराज के सम्मान में एक संगीत उत्सव 'त्यागराज आराधना' आयोजित किया जाता है।

8.3. ठकुरानी जात्रा महोत्सव

(Thakurani Jatra Festival)

यह क्या है?

- हाल ही में बहरामपुर शहर में महीने भर चलने वाला ठकुरानी जात्रा महोत्सव संपन्न हुआ।

इस महोत्सव के बारे में

- ठकुरानी जात्रा महोत्सव एक द्विवर्षीय महोत्सव है। यह महोत्सव **बहरामपुर (सिल्क सिटी), ओडिशा** में मनाया जाता है।
- इसे घट यात्रा (Ghata Yatra) के रूप में भी जाना जाता है। यह दक्षिणी ओडिशा का मुख्य त्योहार है।
- इस महोत्सव में **माँ बुद्धि ठकुरानी** की पूजा की जाती है। इन्हें बहरामपुर शहर की इष्ट देवी और *सुरक्षा कवच* (संरक्षक) माना जाता है।
- इस देवी की पूजा मूलतः *देरा* नामक बुनकर समुदाय द्वारा की जाती थी।

VISION IAS

8.4. बंगनापल्ली आम

(Banganapalle Mango)

सुर्खियों में क्यों?

- **रजिस्ट्रार ऑफ़ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन्स रजिस्ट्री (RGIR)** द्वारा आंध्र प्रदेश के *बंगनापल्ली आम* तथा *बन्दर लड्डू* दोनों को ही भौगोलिक संकेतक (GI) का टैग प्रदान किया गया।

GI टैग क्या है?

- GI टैग एक संकेत है जो विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र को निर्दिष्ट करता है। इसका उपयोग विशेष गुणवत्ता और प्रतिष्ठा प्राप्त कृषि संबंधी, प्राकृतिक और विनिर्मित वस्तुओं को पहचान और संरक्षण प्रदान करने के लिए किया जाता है।
- GI टैग प्राप्त करने के लिए किसी उत्पाद का उस क्षेत्र में ही उत्पादित, प्रसंस्कृत या अंतिम रूप से तैयार होना आवश्यक है।
- GI टैग को **ज्योग्राफिकल इंडिकेशन्स ऑफ़ गुड्स (रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन) एक्ट, 1999** द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
- इस अधिनियम के प्रावधानों का क्रियान्वयन **कंट्रोलर जनरल ऑफ़ पेटेंट्स, डिजाइन्स और ट्रेड मार्क्स (Controller General of Patents, Designs and Trade Marks)** द्वारा किया जाता है। दृष्टव्य है कि कंट्रोलर जनरल ऑफ़ पेटेंट, डिजाइन और ट्रेड मार्क्स, GI के रजिस्ट्रार भी हैं।
- GI का पंजीकरण 10 वर्षों के लिए वैध होता है, जिसके बाद इसे नवीकृत करने की आवश्यकता होती है।

VISION IAS

9. एथिक्स

(ETHICS)

9.1. विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस

(World Press Freedom Day)

प्रत्येक वर्ष 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। UNGA (UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY) द्वारा 1993 में घोषित किए गए प्रेस स्वतंत्रता संबंधी सिद्धान्तों का इस दिन पुनःस्मरण किया जाता है तथा इनके प्रति प्रतिबद्धता जताई जाती है।

मीडिया की नैतिकता या प्रेस संबंधी स्वतंत्रता क्यों महत्वपूर्ण है?

- ये लोकतंत्र के रक्षक हैं।
- सभी प्रकार के मानवाधिकारों के विकास और रक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- आम आदमी की आवाज को अभिव्यक्ति प्रदान करने और समुदाय की सूचनाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है।
- जागरूकता बढ़ाना तथा सहिष्णुता की संस्कृति का विकास करना। घृणा के प्रत्येक रूप को समाप्त करना।
- उन देशों और क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केन्द्रित करना जो संघर्ष, संघर्ष के बाद की प्रक्रिया अथवा संक्रमण की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं।
- विभिन्न देशों में विभिन्न स्तरों पर सरकारों को पलायनवादी दृष्टिकोण तथा मानसिकता अपनाने से रोकना।

रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स (RWB)

- फ्रांस के पेरिस में स्थित यह एक **अंतर्राष्ट्रीय गैर-लाभकारी, गैर-सरकारी संगठन** है। यह प्रेस की स्वतंत्रता और सूचना की स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है तथा प्रेस की स्वतंत्रता और सूचना की स्वतंत्रता की रक्षा करता है।
- इस संगठन को संयुक्त राष्ट्र संघ में सलाहकार का दर्जा प्राप्त है।
- यह प्रत्येक वर्ष **विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक (वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स)** तैयार करता है। इस सूचकांक के माध्यम से पत्रकारों को प्रदत्त स्वतंत्रता के स्तर के अनुसार 180 देशों की रैंकिंग की जाती है।

प्रेस से संबंधित विभिन्न नैतिक मुद्दे

वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक और क्षेत्रीय दोनों स्तरों पर मीडिया की स्वतंत्रता अत्यधिक सीमित हुई है। यह एक चिंताजनक प्रवृत्ति है। यद्यपि मीडिया से संबंधित विभिन्न मुद्दे हैं, किन्तु इन सभी मुद्दों को संक्षेप में एक शब्द प्रेस की 'स्वतंत्रता' में प्रस्तुत किया जा सकता है। सत्यता को पूर्ण ढंग से लोगों तक पहुँचाने हेतु समाचारों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण मूल्य स्वतंत्रता है अर्थात सत्यता के साथ समाचारों को एकत्र करने और प्रसारित करने के लिए प्रेस की "स्वतंत्रता" सर्वाधिक महत्वपूर्ण मूल्य है। हालांकि इस मुद्दे का दूसरा पहलू, मीडिया का उत्तरदायित्व भी है। इस प्रकार, दोनों ही पक्षों द्वारा आवश्यक विभिन्न मूल्यों और मानदंडों का पालन किया जाना चाहिए।

मीडिया का नियंत्रण / विश्लेषण करने हेतु राजनेताओं / संगठनों द्वारा पालन किए जाने वाले मानदंड

- **अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता** - यह एक अपरिहार्य मानव अधिकार है। पत्रकारिता के पेशे में यह अधिकार व्यक्ति के लिए और भी अधिक महत्वपूर्ण है। पत्रकार के रूप में व्यक्ति का यह उत्तरदायित्व है कि विश्व भर में होने वाली घटनाओं की सच्ची तस्वीर से जनता को अवगत कराए।
- **मीडिया से संबद्ध व्यक्तियों की सुरक्षा एवं बचाव**- संपादकों, प्रकाशकों आदि के उत्पीड़न को रोकने के लिए एक उचित तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए। पत्रकारों पर होने वाले हमलों तथा उनकी हत्या जैसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त प्रावधान निर्मित किया जाना चाहिए। संबंधित व्यक्ति को कठोर दंड देने के लिए तंत्र को सशक्त किया जाना चाहिए ताकि ऐसी हिंसा द्वारा की गई सेंसरशिप के कारण समाज किसी महत्वपूर्ण सूचना से वंचित न रह जाए।
- **सहिष्णुता और खुलेपन की संस्कृति** - सेंसरशिप, जुर्माना, निलंबन और प्रकाशन पर रोक जैसे कदम केवल विशेष परिस्थितियों में ही उठाए जाने चाहिए। दरअसल, अधिकारियों को पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देने के लिए उनके कार्यों के बारे में पत्रकारों द्वारा की जाने वाली पूछताछ को प्रोत्साहित करना चाहिए।
- **मीडिया के कॉरपोरेटाइजेशन को रोकने के लिए नियम** क्योंकि कॉरपोरेटाइजेशन की परिस्थितियों में लाभ और हानि प्रमुख मुद्दा बन जाता है। इस प्रकार, अनुबंध आधारित नियुक्ति जो आज एक मानक बन गई है; स्थानांतरण और वेतन के माध्यम से पत्रकारों को नियंत्रित करना, दृश्य मीडिया में नौकरी की कोई सुरक्षा न होना आदि जैसे मुद्दे उभर रहे हैं।

VISION IAS

मीडिया से संबद्ध व्यक्तियों द्वारा पालन किए जाने वाले नैतिक मानक तथा कसौटियाँ

- **अपने उत्तरदायित्वों को समझना** - भारत जैसे देशों में जहां जातिवाद, सांप्रदायिकता, गरीबी तथा 'ऑनर किलिंग' जैसी सामाजिक बुराईयां विद्यमान हैं, मीडिया से संबंधित व्यक्तियों को विशेष रूप से अपने उत्तरदायित्वों का गंभीरतापूर्वक निर्वहन करना चाहिए।
- **सटीकता, ईमानदारी और निष्पक्षता** - समाचारों के संग्रह और प्रकाशन में इन मूल्यों का पालन किया जाना चाहिए क्योंकि ये मूल्य सीधे सार्वजनिक हित से सम्बद्ध होते हैं। किसी भी गलत अथवा अपुष्ट जानकारी की स्थिति में किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को अनावश्यक क्षति पहुँच सकती है।
- **सत्यता-** समाचारों में शामिल तथ्यों को बिना किसी छेड़छाड़ के प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाना चाहिए, विशेष रूप से इस पोस्ट ट्रुथ के युग में जहां सनसनी पैदा करने के लिए सत्य के साथ असत्य के कुछ तत्वों को मिश्रित कर दिया जाता है।
- **प्रतिनिधित्व और विविधता** - संपादकों द्वारा पेड न्यूज को नियंत्रित किया जाना चाहिए। साथ ही संबंधित संगठन को समाज के सभी वर्गों (जातीय और भाषाई अल्पसंख्यक, विकलांग व्यक्तियों, हाशिए पर स्थित समूहों, महिलाओं आदि) के विचारों को बिना किसी भेदभाव के प्रोत्साहन देना चाहिए। इस हेतु संगठन के भीतर आंतरिक विविधता होना अत्यंत आवश्यक है।
- **वास्तविक समस्याओं पर फोकस** करना चाहिए। फिल्मों, मॉडल्स, क्रिकेटरों से संबद्ध अनावश्यक मुद्दों को महत्त्व नहीं देना चाहिए। मीडिया को मूल रूप से सामाजिक-आर्थिक प्रकृति के अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए।
- **व्यवसायीकरण और स्व-विनियमन** – विषय वस्तु और लेखापरीक्षा (दोनों गुणात्मक और मात्रात्मक) के उपयोग, आचार संबंधी नियमावली, सूचना के स्रोत से सम्बद्ध पेशेवर गोपनीयता, साहित्यिक चोरी, विशिष्ट लक्ष्यों से संबंधित क्षेत्र विशेष आधारित प्रदर्शन का मूल्यांकन जैसे विषयों में व्यवसायीकरण और स्व-विनियमन।
- लोगों की **वैयक्तिकता** तथा **निजता का सम्मान** किया जाना चाहिए। साथ ही जब तक अत्यंत आवश्यक न हो अपमानजनक आलोचना से बचना चाहिए। कोई भी आलोचना सार्वजनिक हित के दृष्टिकोण से उचित होने पर ही की जानी चाहिए।
- **मूल्यों को बढ़ावा देना चाहिए** क्योंकि ये युवा मस्तिष्क पर अपनी गहरी छाप छोड़ते हैं। इस प्रकार शक्ति, क्रूरता और अनैतिक विचारों का महिमामंडन नहीं करना चाहिए।

भारत में स्थिति

हालांकि पिछले वर्ष की तुलना में 3 स्थानों का सुधार हुआ है तथापि **वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स** 2016 में भारत को 180 देशों की सूची में निराशाजनक 133 वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस सन्दर्भ में भारतीय मीडिया विभिन्न मुद्दों का सामना कर रहा है। ये मुद्दें निम्नलिखित हैं:

- विभिन्न धार्मिक समूहों द्वारा पत्रकारों और ब्लॉगर्स पर हमले करने जैसी घटनाएं बढ़ी हैं।
- कश्मीर जैसे कुछ क्षेत्रों तक प्रतिबंधित पहुंच, इन क्षेत्रों को सरकार द्वारा संवेदनशील माना जाता है।
- शासन के उच्च स्तरों पर इन खतरों और समस्याओं के प्रति उदासीनता।
- पत्रकारों की रक्षा के लिए कोई तंत्र विद्यमान नहीं है।

आगे की राह

मीडिया आजादी के साथ ही उनकी जवाबदेहिता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं:

- **कम्युनिटी मीडिया को बढ़ावा देना** - यह मीडिया बहुलवाद और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करेगा। साथ ही यह पब्लिक, कमर्शियल और सोशल मीडिया का एक बेहतर विकल्प भी है। सामुदायिक मीडिया के माध्यम से स्थानीय महत्त्व के मुद्दों पर; दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रों तक सूचनाओं की पहुँच सुनिश्चित करने पर तथा समुदाय के प्रति जवाबदेहिता बढ़ाने पर फोकस किया जा सकेगा। इस प्रकार सरकारों को कम्युनिटी मीडिया से संबंधित विधिक मान्यता, स्पेक्ट्रम, लाइसेंसिंग, वित्तपोषण जैसे मुद्दों का उचित समाधन सुनिश्चित करना चाहिए ।
- **एक्टिव मीडिया वॉच ग्रुप्स को बढ़ावा देना** - जैसा कि भारत कुछ लोकतंत्रों में से एक है तथा यहाँ मीडिया के वस्तुनिष्ट विश्लेषण करने, पूर्वाग्रहों और अन्तर्निहित पक्षपात पर विचार करने और व्यवस्थित आलोचना एवं सूक्ष्म परीक्षण पर फोकस करने वाले समूह विद्यमान नहीं हैं, अतः एक्टिव मीडिया वॉच ग्रुप्स को बढ़ावा देना आवश्यक है।
- **मीडिया द्वारा स्वयं मीडिया के बारे में लेखन को बढ़ावा देना** – यह एक अघोषित नियम बन चुका है कि मीडिया में मीडिया के बारे में कुछ नहीं लिखा जाएगा। विविध मीडिया संगठनों में यह आपसी सहमति बन चुकी है कि मीडिया संगठन चाहे प्रशंसा हो या आलोचना एक-दूसरे के बारे में नहीं लिखेंगे। अधिकांश भारतीय समाचार पत्रों में गलतियों को स्वीकार करने या गलत रिपोर्टिंग के संबंध में एक स्वतंत्र नीति का अभाव है।

10. विविध

(MISCELLANEOUS)

10.1. मांकडिया जनजाति से बंदरों को पकड़ना सीखना

(Learn to Trap Monkeys from Mankidia Tribe)

सुर्ख़ियों में क्यों?

ओडिशा, वन एवं पर्यावरण विभाग ने अपने कर्मियों को मांकडिया जनजाति से बन्दरों को पकड़ने के कुछ तरीके सीखने को कहा है ताकि वह इनसे होने वाले खतरों को समाप्त कर सके।

मांकडिया जनजाति

- ओडिशा में इन्हें पर्टिकुलर्ली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स (PVTGs) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- ये अर्ध-खानाबदोश होते हैं तथा मांस के लिए बंदर का शिकार किया करते थे।

मांकडिया जनजाति

- ओडिशा में इन्हें पर्टिकुलर्ली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स (PVTGs) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- ये अर्ध-खानाबदोश होते हैं तथा मांस के लिए बंदर का शिकार किया करते थे।

बंदरों को पकड़ने की चतुर विधि

मांकडिया जनजाति के लोग जब किसी पेड़ पर बैठे बंदर को देखते है, तो वे आस-पास के पेड़ों पर चढ़ कर उस पेड़ को घेर लेते हैं। तत्पश्चात ये बन्दर के गिरने तक पेड़ को हिलाते रहते हैं। नीचे धरातल पर एक समूह जाल के साथ मौजूद रहता है, जो बंदर को जल्दी से जाल में डाल के पकड़ लेता है।

10.2. इंडियन एक्सक्लूशन रिपोर्ट (IXR) 2016

[Indian Exclusion Report (IXR)2016]

- सेंटर ऑफ इक्विटी स्टडीज द्वारा जारी की गई 2016 की रिपोर्ट में चार सार्वजनिक वस्तुओं यथा वृद्धों के लिए पेंशन, डिजिटल एक्सेस, कृषि भूमि तथा अंडरट्रायल्स के लिए कानूनी न्याय के संबंध में अपवर्जन (exclusion) की समीक्षा की गई है।
- नियोजन से सर्वाधिक एवं निरन्तर बहिष्कृत ही ऐतिहासिक रूप से वंचित समूह हैं जैसे:- दलित, आदिवासी, मुस्लिम, विकलांग तथा आयु से संबंधित कमजोरियों से ग्रस्त व्यक्ति।

10.3. CAPF के लिए शिकायत निवारण ऐप

(Grievance Redressal App for CAPF)

- हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) के लिए शिकायत निवारण हेतु मोबाइल ऐप लांच किया है।
- यह सैनिकों को गृह मंत्रालय से सीधे संपर्क करने की सुविधा प्रदान करेगी तथा विलम्ब या देरी की स्थिति में मामले को गृह मंत्री तक भी पहुँचाया जा सकेगा।
- इस ऐप के माध्यम से पारदर्शिता में वृद्धि होगी। साथ ही यह शिकायतों को सोशल मीडिया में प्रसारित होने से रोकने में सहायता करेगी।

CAPF में शामिल जवान हैं:

- सीमा सुरक्षा बल (BSF)
- केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF)
- केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF)
- भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) और
- सशस्त्र सीमा बल (SSB)

VISION IAS

10.4. भारतीय रेलवे द्वारा EOTT की शुरुआत

(Indian Railways to Introduce EoTT)

- भारतीय रेलवे, लोकोमोटिव ड्राइवर और ट्रेन के अंतिम डिब्बे के बीच संचार स्थापित करने के लिए शीघ्र ही **एंड ऑफ़ ट्रेन टेलीमेट्री (End of Train Telemetry: EoTT)** उपकरण के उपयोग की शुरुआत करेगा। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि ट्रेन के सभी कोच/ डिब्बे पूरी तरह एक साथ एक पूर्ण इकाई के रूप में गतिमान हैं।
- इस सिस्टम को इस प्रकार डिज़ाइन किया गया है कि किसी ट्रेन के विभक्त होने की स्थिति में यह ट्रेन के विभाजन की स्थिति के बारे में ड्राइवर को सूचित करेगा और ट्रेन के पिछले भाग में ब्रेक लगा देगा।